



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1941 (श10)

(सं0 पटना 945) पटना, बुधवार, 14 अगस्त 2019

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

9 अगस्त 2019

नगर पंचायत जगदीशपुर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019

सं0 03/SBM-01-18/2019-2225—चूँकि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के नियम 15 के खंड (e) (f) एवं (zf) द्वारा यथा अधिदेशित उक्त नियमावली के प्रावधानों को निगमित करते हुए स्थानीय निकाय को उपविधि बनानी है और

चूँकि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 421 इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु उसे अधिनियम के अधीन कोई विनियम बनाने हेतु नगरपालिकाओं को सशक्त करता है, और

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के क्रियान्वयन में मानकीकरण लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 का मॉडल अधिसूचना संख्या-685 दिनांक 05.03.2019 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

नगर पंचायत जगदीशपुर के सशक्त स्थाई समिति की बैठक की प्रस्ताव संख्या-01, दिनांक 16.04.2019 द्वारा उपविधि के उक्त मॉडल को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-422 की उपधारा (क), (ख) एवं (ग) के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए पारित की गयी है।

अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-423 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत जगदीशपुर के प्रस्ताव संख्या-01, दिनांक 16.04.2019 द्वारा पारित उपविधि को एतद् द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

यह शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

अध्याय-I सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ—

- (1) यह उपविधि नगर पंचायत जगदीशपुर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 कही जा सकेगी।
- (2) यह शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. लागू होना— यह उपविधि नगर पंचायत जगदीशपुर की अधिकारिता के भीतर प्राप्त औद्योगिक टाउनशीप, रेलवे, ऐयरपोर्ट, एयरबेस, पोर्ट, हार्बर, विशेष आर्थिक जोन, राज्य और केन्द्रीय सरकार के संगठनों, प्रत्येक आवासीय, संस्थानिक वाणिज्यिक क्षेत्रों और तीर्थ, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के किसी गैर आवासीय ठोस अपशिष्ट उत्पादकों पर लागू होगी।

3. परिभाषाएँ— इस उपविधि में, जबतक संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित न हो—

- (i) “अधिनियम” से अभिप्रेत है बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (समय-समय पर यथा संशोधित);
- (ii) “उपविधि” से अभिप्रेत है अपनी अधिकारिता में प्रभावी रूप से इस उपविधि के क्रियान्वयन को सुगम बनाने के लिए स्थानीय निकाय, सेन्सस टाउन तथा अधिसूचित क्षेत्र टाउनशीप द्वारा अधिसूचित विनियामक कार्यसंरचना ;
- (iii) “ऐरोबिक कंपोस्टिंग” से अभिप्रेत है नियंत्रित प्रक्रिया जिसमें ऑक्सिजन के अभाव में सामग्री का माइक्रोबायल अपघटन (डिकम्पोजिशन) में हो;
- (iv) “एनऐरोबिक डाईजेशन” से अभिप्रेत है एक नियंत्रित प्रक्रिया, जिसमें ऑक्सिजन की अनुपस्थिति में जैव सामग्री (ऑर्गेनिक मैटर) का माइक्रो बायल अपघटन अंतर्गत करती हो;
- (v) “बायोडिग्रेडेबल सामग्री” से अभिप्रेत है वह सामग्री जो सूक्ष्म जैव (माइक्रोऑर्गेनिज्म) द्वारा कम की जा सके ;
- (vi) “जैव चिकित्सा अपशिष्ट” से अभिप्रेत है हॉस्पिटल, नर्सिंगहोम, डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पैथोलोजिकल लेबोरेटरीज के सिरिज, शरीर-अंग, चर्म, रक्त से भींगा कॉटन और कपड़े इत्यादि;
- (vii) “बायोमेथानेशन” से अभिप्रेत है, वह प्रक्रिया जो माइक्रोबायल क्रिया द्वारा मैथेन भरा बायोगैस उत्पादन के लिए जैव सामग्री का इंजायमेटिक अपघटन होता है;
- (viii) “थोक अपशिष्ट उत्पादक” से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है— (i) केन्द्रीय सरकारी विभाग या उपक्रम, राज्य के सरकारी विभाग या उपक्रम, स्थानीय निकाय, लोक सेक्टर उपक्रम, या प्राईवेट कंपनी, हॉस्पिटल, नर्सिंगहोम, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य शिक्षण संस्थान, हॉस्टल, होटल, वाणिज्यिक स्थापना, बाजार, पूजास्थल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जिनका औसतन अपशिष्ट उत्पादन दर 100 कि० ग्रा० प्रतिदिन है; (ii) सभी आवासीय कल्याण एवं बाजार संगठन, सभी 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रवाला फाटकदार सामुदायिक भवन एवं संस्था और औसतन 100 कि० ग्रा० या अधिक ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न करने वाले सभी होटल और रेस्तरा ;
- (ix) “संग्रहण” से अभिप्रेत है ठोस उद्गम बिंदु से और किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट उठाना और हटाना ;
- (x) “दहनशील अपशिष्ट” से अभिप्रेत है नन-बायोग्रेडबुल, नन-रिसाईलिकेबुल, नन-यूजेबुल, नन-हैजार्डस 1500 के कैलोरी प्रति कि.ग्रा. से अधिक कैलोरी वैल्यूवाला ठोस अपशिष्ट और इसमें क्लोरिनेटेड मैटोरिल, जैसे प्लास्टिक बुडपत्त आदि शामिल नहीं है।
- (xi) “कम्पोस्टिंग” से अभिप्रेत है नियंत्रित प्रक्रिया जिसमें जैव सामग्रियों की माइक्रोबायल डिग्रेडेशन अंतर्गत है ;
- (xii) “अनुदान ग्रही” से अभिप्रेत कोई व्यक्ति जो ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, सेकेंडरी स्टोरेज, परिवहन, प्रोसेसिंग तथा निपटाव के लिए कार्य करता या कार्य प्रचालित करता हो और उसमें प्राधिकार द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य एजेंसी ;
- (xiii) “निर्माण और विध्वंस ठोस” से अभिप्रेत है निर्माण, रिमोडलिंग, मरम्मत और विध्वंस प्रचालन के परिणामस्वरूप भवन सामग्री, मलवा तथा रूबल से अपशिष्ट;
- (xiv) “को-प्रोसेसिंग” से अभिप्रेत है कच्चा माल या ऊर्जा स्रोत या प्राकृतिक खनिज स्रोत को बदलने अथवा पूरा करने के लिए दोनों के रूप में 1500 कैलोरी से अधिक कैलोरीफिक मान वाला नन-बायोग्रेडबुल और नन-साईकिलेबुल ठोस अपशिष्ट और औद्योगिक प्रक्रियाओं में फॉसिल फ्यूल का उपयोग;

- (xv) "विक्रेन्दीकृत प्रोसेसिंग" से अभिप्रेत है बायो-डिग्रेडेबुल अपशिष्ट की प्रोसेसिंग तथा उत्पादन के नजदीकी स्रोत से रिसाईक्लेबल की वसूली, जिससे प्रोसेसिंग या निपटाव के लिए अपशिष्ट का परिवहन कम किया जा सके, को अधिकाधिक करने के लिए फैलाई गई सुविधाओं की स्थापना;
- (xvi) "निपटान" से अभिप्रेत ठोस अपशिष्ट के प्रासेसिंग के बाद रिजेक्ट्स, सड़क की सफाई से अपशिष्ट तथा भूगर्भ जल की सुरक्षा हेतु आवश्यक सावधानी से विनिर्दिष्ट स्वच्छता भूमि-भराव पर नालियों की सतह से सिल्ट का निपटान;
- (xvii) "घरेलू खतरनाक अपशिष्ट" से अभिप्रेत है फेंके गए पेन्ट ड्रम, कीटनाशक कैन, सी0 एफ0 एल0 बल्ब, ट्यूब लाइट, समाप्त दवाईयाँ, टूटी मरकरी थर्मामीटर, उपयोग की गई बैटरी, निडिल, सिरिज तथा संदूषित (कंटामिनेटेड) रूई (गाज) इत्यादि मकान की स्तर पर उत्पन्न ;
- (xviii) "डोर-टू-डोर संग्रहण" से अभिप्रेत मकानों, दुकानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य आवासीय परिसरों और इसमें से अथवा हाउसिंग सोसाइटी, बहुमंजिली इमारतों या अपार्टमेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत कम्प्लेक्स अथवा परिसर के प्रवेश द्वार से अपशिष्ट का संग्रहण शामिल है, के दरवाजे से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण;
- (xix) अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक में ऐसे व्यक्ति संगठन या अपशिष्ट व्यवसायी जो रिसाईक्लेबल सामग्रियों को छँटने, क्रय-विक्रय में लगे हो;
- (xx) "लिचेट" से अभिप्रेत है कोई द्रव जो ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिस गया हो और इससे निष्कासित या आस्थगित किया गया हो;
- (xxi) "सामग्री प्राप्ति सुविधा" (एम. आर. एफ.) से अभिप्रेत है कोई सुविधा जहाँ गैर-कंपोस्ट योग्य ठोस अपशिष्ट स्थानीय निकाय या उपविधि-2 में वर्णित किसी अन्य सत्ता द्वारा अस्थायी रूप से जमा किया जा सकता हो अथवा उपविधि-2 में वर्णित स्थानीय निकाय या सत्ता द्वारा लगाए प्रधिकृत अनौपचारिक अपशिष्ट पिकर्स सेक्टर, अनौपचारिक रिसाईकिलर्स अथवा किसी अन्य कार्यबल द्वारा, अपशिष्ट प्रोसेसिंग या निपटाव के लिए भेजे जाने या लेने के पूर्व प्रयोजन के लिए, ठोस अपशिष्ट के विभिन्न अवयवों से सुकर करने, पृथक्करण, छँटाई करने या रिसाईक्लेबलस की प्राप्ति हेतु कोई व्यक्ति अथवा उनमें से किसी के द्वारा प्राधिकृत ऐजेंसी;
- (xxii) "नगरपालिका प्राधिकार" से अभिप्रेत है नगरपालिका बोर्ड द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और कार्य करने के लिए प्राधिकृत शहरी स्थानीय निकाय और व्यक्ति;
- (xxiii) "नगरपालिका आयुक्त / कार्यपालक अधिकारी" से अभिप्रेत है शहरी स्थानीय निकाय के मुख्य अधिकारी;
- (xxiv) "नगरपालिका ठोस अपशिष्ट" में शामिल है वाणिज्यिक एवं आवासीय अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कैटरिंग और मार्केट अपशिष्ट तथा अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, गली सफाई, नालियों की सतह से हटाया या संग्रह किया सिल्ट, बागवानी अपशिष्ट, ठोस या अर्धठोस के रूप में शहरी स्थानीय अपशिष्ट और इसमें खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट तथा बैटरी अपशिष्ट शामिल नहीं है;
- (xxv) "पिलेट फार्मिंग" से अभिप्रेत है पिलेट, छोटा घनाकार या सिलेंडर के रूप में टुकड़ा होगा, ठोस अपशिष्ट से बनाने के लिए उपयोग में लाई गई प्रक्रिया और इसमें कोई ईंधन पिलेट भी शामिल होगा जो कूड़ा-कचड़ा से प्राप्त ईंधन के रूप में विनिर्दिष्ट है;
- (xxvi) "प्रसंसकरण (प्रोसेसिंग)" से अभिप्रेत वह प्रक्रिया जिससे ठोस सामग्री नई या रिसाईकिल्ड उत्पाद में बदल जाती हो;
- (xxvii) "रिसाईकिलिंग" से अभिप्रेत है वह प्रक्रिया जो छटनी की गई सामग्री को नए उत्पाद में बदल दे जो मूल उत्पाद के समान हो भी सकता अथवा नहीं भी हो सकता);
- (xxviii) "कचरा व्युत्पन्न ईंधन (आर.डी.एफ.)" से अभिप्रेत है। ठोस अपशिष्ट, जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरीनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संहनन द्वारा गुटिका या राएं के कप में उत्पादित बाह्य अपशिष्ट प्रभाजी से व्युत्पन्न ईंधन अभिप्रेत है;
- (xxix) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस उपविधि से संलग्न अनुसूची ;
- (xxx) "सेकेन्डरी स्टोरेज" से अभिप्रेत है ठोस अपशिष्ट डिपो या एम. आर. एफ या डस्टबीन पर प्रोसेसिंग अथवा निपटाव के लिए अपशिष्ट के आगे परिवहन के लिए संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्टों का अस्थायी समावेशन (कंटेनमेंट);
- (xxxi) "पृथक्करण" से अभिप्रेत है विभिन्न ठोस अपशिष्टों का, यथा-कृषि एवं डेयरी अपशिष्ट सहित बायो-ग्रेडेबुल अपशिष्ट, रिसाईक्लेबल, नन-रिसाईक्लेबल दहनशील अपशिष्ट,

- स्वच्छता अपशिष्ट और नन-रिसाईक्लेबल इनर्ट अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्टों सहित नन-बायोग्रेडेबुल अपशिष्ट के विभिन्न अवयवों की छँटाई तथा पृथक भंडारण;
- (xxxi) "स्वास्थ्यप्रद भूमिभराव" से अभिप्रेत है भूगर्भजल प्रदूषण, सतही जल और तथा उड़नेवाली वायुधूल, हवा से उड़ा कूड़ाकचरा दुर्गंध, आग-खतरा, पशु संकट, पक्षी संकट, कीट या कृतक प्राणीगण ग्रीन हाउस उत्सर्जन, चिरस्थायी जैव प्रदूषक झुकाव की अस्थिरता, एक क्षरण के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपायों के साथ डिजाईन की गई एक सुविधा के रूप में भूमि पर अवशिष्टों, ठोस अपशिष्ट तथा निष्क्रीय अपशिष्ट की अंतिम और सुरक्षित निपटाव;
- (xxxi) "परिवहन" से अभिप्रेत है दुर्गंध, कूड़ाकचरा और असुंदर दशा को रोकने हेतु विशेष रूप से डिजाईन किये गए और आच्छादित परिवहन प्रणाली के माध्यम से एक पर्यावरणीय ठोस रीति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपचारित, अंशातः उपचारित अथवा अनुपचारित ठोस अपशिष्ट का परिवहन;
- (xxxi) "शहरी स्थानीय निकाय" शहरी क्षेत्र जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-2 (66) के तहत निर्दिष्ट किया गया है।
- (xxxi) "वर्मी-कंपोस्ट" केचुआ (अर्थवर्म) का उपयोग करके उर्वरक में अपशिष्ट के जैव अपघटन (बायो-डिग्रेडेशन) की प्रक्रिया है;
- (xxxi) "अपशिष्ट पिकर" से अभिप्रेत है अपशिष्ट उत्पादन स्रोत, गली, बिन, सामग्री प्राप्ति सुविधा, प्रोसेसिंग, तथा अपशिष्ट निपटाव सुविधा से पुनः उपयोग करने योग्य रिसाईक्लेबल ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं प्राप्ति में अपनी जीविका उपार्जन हेतु सीधे या बिचौलिए के माध्यम से रिसाईकिलर्स को विक्रय के लिए अनौपचारिक रूप से लगा हुआ कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह ;
- (xxxi) "अपशिष्ट उत्पादक या" अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता" से अभिप्रेत है नगरपालिका अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले व्यक्ति, स्थापना या संस्था।

अध्याय-II

अपशिष्ट पृथक्करण।

4. स्रोत पर ही ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण और प्राथमिक भंडारण-

- (1) सभी अपशिष्ट उत्पादन के लिए यह आवश्यक होगा कि अपने स्थानों से नियमित रूप तीन स्ट्रीम आनेवाले ठोस अपशिष्ट को पृथक एवं भंडारण किया जाय, यथा-
 - (क) बायो-डिग्रेडेबुल अथवा गीला अपशिष्ट ;
 - (ख) नन-बायोडिग्रेडेबुल अथवा सूखा अपशिष्ट;
 - (ग) घरेलू खतरनाक अपशिष्ट;
- (2) पृथक्कृत अपशिष्ट के भंडारण के लिए बिन का रंग बायो-डिग्रेडेबुल अपशिष्ट के लिए हरा, नन-बायोडिग्रेडेबुल अथवा सूखा अपशिष्ट के लिए नीला, अन्य अपशिष्ट के लिए काला होगा।
- (3) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट पृथक्करूप से परिसर में जमा किया जाएगा। ऐसे उत्पादक जो प्रतिदिन 20 टन या उससे अधिक या प्रतिमाह प्रति प्रोजेक्ट 300 टन का उत्पादन करते हैं, अपशिष्ट को चार स्त्रोतों में जैसे- कंक्रीट, मिट्टी, लोहा स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, ईट एवं गारा, पृथक्कृत करेंगे और अपशिष्ट प्रबंधन योजना समर्पित करेंगे और निर्माण या विध्वंस या रिमोल्डलिंग कार्य आरंभ करने के पूर्व स्थानीय प्राधिकारी से समुचित अनुमोदन प्राप्त करेंगे और प्लानिंग चरण से क्रियान्वयन चरण से सुसंगत क्रिया-कलापों की जानकारी संबंधित प्राधिकारियों को देंगे और यह प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट के आधार पर होगा। उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य अपशिष्ट (यथा-ठोस अपशिष्ट) इस अपशिष्ट के साथ मिश्रित न हो और पृथक् रूप से जमा किया और निपटाया जाय।
- (4) परिसर से उत्पन्न उद्यान अपशिष्ट और बागवानी अपशिष्ट परिसर के भीतर ही पृथक्कृत किया जाएगा और जमा किया जाएगा तथा परिसर के भीतर कंपोस्ट किया जाएगा और नजदीकी नगरपालिका सुविधा को भेज दिया जाएगा।
- (5) कोई बायो-चिकित्सा अपशिष्ट, ई-वेस्ट, खतरनाक रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे अपशिष्ट पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाई गई संबद्ध नियमावली के अनुसार निपटाया जाएगा।
- (6) अभिहित बधशाला एवं बाजार से अन्यथा किसी परिसर का प्रत्येक स्वामी / अधिभोगी, जो पॉल्ट्री, मछली, बध- अपशिष्ट, वाणिज्यिक क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप, उत्पन्न करता है, उसे बंद, स्वास्थ्यकर दशा में पृथक्करूप से जमा करेगा और उसे प्रतिदिन के आधार पर इस प्रयोजनार्थ उपबंधित शहरी स्थानीय निकाय संग्रहण वाहन को विनिर्दिष्ट समय पर दे देगा।

- (7) उपयोग किए गए सैनिटरी पैड और ड्राईपरों को, इन उत्पादों कविनिर्माता या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध किए गए पेपर या पाउच में या किसी अखबार में अथवा उपयुक्त बायोडिग्रेडेबुल रैपिंग मैटेरियल में सुरक्षित रूप से लपेटा जाएगा और नन-बायोडिग्रेडेबुल अपशिष्ट या सूखा अपशिष्ट के लिए बने बिन में उसे रखा जाएगा।
- (8) प्रत्येक स्ट्रीट भेंडर क्रियाकलाप के दौरान अपशिष्ट डिस्पोजेबुल प्लेट, कप, पात्र, रैपर, नारियल शेल, अपशिष्ट भोजन, सब्जी और फल इत्यादि जमा करने के लिए डस्टबीन में रखोगा और ऐसे अपशिष्ट को नगर पंचायत जगदीशपुर द्वारा अभिहित डिपों या पात्रों या वाहन में जमा कर देगा।
- (9) खुले स्थान में एक सौ से अधिक व्यक्तियों को जमा करने या कोई खेल समारोह आयोजित करने के लिए जिम्मेवार कोई भी व्यक्ति, जो प्लास्टिक या मल्टीलेयर पैकेजिंग में खाद्य सामग्री वितरित करेगा, उस समारोहों के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट को पृथक्कृत और प्रबंधित करेगा। वह व्यक्ति खेल /समारोह की तिथि से तीन दिन पूर्व शहरी स्थानीय निकाय को सूचित करेगा, नगरपालिका से, तय किये गये राशि प्रतिदिन रेन्टल चार्ज देकर पृथक्कृत अपशिष्ट के भंडारण के लिए 1.1 घनमीटर के दो पात्रों को रखने हेतु अनुरोध करेगा। पृथक्कृत अपशिष्ट नगर पंचायत जगदीशपुर द्वारा विनिर्दिष्ट अपशिष्ट संग्राहक/एजेंसी को हस्तगत कर दिया जाएगा।
- (10) थोक अपशिष्ट उत्पादक नगर पंचायत जगदीशपुर के समन्वय से, पृथक बिन में पृथक्कृत अपशिष्ट का स्रोत पृथक्करण, भंडारण सुनिश्चित करेगा और प्राधिकृत वेस्ट पिकर्स या प्राधिकृत रिसाईकिलर्स को रिसाईकलेबल अपशिष्ट हस्तगत कर देगा। बायोडिग्रेडेबुल अपशिष्ट को परिसर के भीतर ही कंपोस्टिंग या बायो-मेथानेशन द्वारा प्रसंस्कृत, उपचारित या निपटाव किया जाएगा। प्रोसेसिंग से प्राप्त अवशिष्ट को (रिजेक्ट्स) अपशिष्ट संग्राहक अथवा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत एजेंसी हस्तगत कर दिया जाएगा। भूमि की अनुपलब्धता की दशा में थोक अपशिष्ट उत्पादक, शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत एजेंसी को ऐसा यूजर फीस देकर, जो शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विहित की जाय, हस्तगत कर देंगे।
- (11) अपशिष्ट उत्पादक शहरी स्थानीय निकाय अथवा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति/एजेंसी/एन.जी.ओ. को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलाप के लिए शहरी स्थानीय द्वारा यथा नियत माहवरी यूजर चार्ज का भुगतान करेंगे।
- (12) अपशिष्ट गली/सड़क या सार्वजनिक स्थानों नालियों या पानी में छितराया, जलाया, दफनाया नहीं जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक स्थानों या पार्कों, जल स्रोतों के नजदीकी या नीजी खुली जगहों पर कूड़ा-कचरा छितराते हुए पाया जाता है शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति इस उपविधि की अनुसूची-II के अनुसार अपराधी से शास्ति प्रभारित करेगा।
- (13) उपविधि के प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ, शहरी स्थानीय निकाय एस. एच. जी. के सदस्यों को लगाकर, वार्ड स्वच्छता समिति, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, स्वच्छता संविदाकर्त्ताओं और आम नागरिकों की भागीदारी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भंडारण एवं प्रबंधन को प्रोत्साहित करेगा।
- (14) गहन जागरूकता अभियान, प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, होर्डिंग प्रदर्शन, हैंडबिल के वितरण, वाल पेंटिंग, रैली, प्रभात फैरी, विधालय छात्र प्रतियोगिता, वार्ड आदि में नुककड़ नाटक के माध्यम से, चलाया जाएगा।

अध्याय-III

ठोस अपशिष्ट संग्रहण।

5. अपशिष्ट का संग्रहण- अपशिष्ट का प्रभावी संग्रहण प्रणाली का क्रियान्वयन गलियों में कूड़ा-कचरा छितराने को दूर करने हेतु, किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, नगर पंचायत जगदीशपुर निम्नलिखित करेगी :-

- (i) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुपालन में प्रत्येक घर से पृथक्कृत अपशिष्ट के संग्रहण के लिए नगरपालिका के सभी जोन, अंचल वार्ड में "सफाई दूत आपके द्वार" स्कीम लागू करना ;
- (ii) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अनुपालन में पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का डोर-टू-डोर कलेक्शन, स्लम, अनौपचारिक बंदोबस्ती सहित प्रत्येक घर से प्रतिदिन के आधार पर वर्तमान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहकों को जोड़कर कूड़ा-कचरा संग्रह करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय के सभी क्षेत्रों या वार्डों में लागू किया जाएगा।
- (iii) शहरी स्थानीय निकाय व्यवहारिक नियम के रूप में धनी आबादी वाले क्षेत्र 250 घरों, मध्यम आबादी वाले 200 घरों तथा बिखरे क्षेत्र में 125 घरों के लिए कम से कम एक "सफाई दूत"

नियुक्त करेगा। तथापि शहरी स्थानीय निकाय नागरिकों के वर्ताव और आवश्यकता पर निर्भर करते हुए अधिक या कम संख्या में सफाई दूत नियुक्त कर सकेंगे। ये सफाई दूत पतली गलियों तक पहुँचने के लिए एक पात्रयुक्त रिक्शा/ हाथ गाड़ी / ई-रिक्शा के नियुक्त किए जा सकेंगे।

- (iv) आवश्यकता और स्थानीय हालत पर निर्भर करते हुए शहरी स्थानीय निकाय पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट के डोर-टू-डोर संग्रहण और परिवहन के लिए उपकरण और वाहन का चयन एवं उपयोग करेगा।
- (v) शहरी स्थानीय निकाय वाहनों, उपकरणों मानवशक्ति की संख्या निर्धारित करेगी जो ठोस अपशिष्ट के दक्ष संग्रहण के लिए प्रत्येक जोन / वार्ड को आबंटित किया जायगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट एक दूसरे में मिश्रित न हों।
- (vi) प्रत्येक घर से कूड़ा संग्रह करने के लिए क्षेत्रवार समय तय और प्रकाशित किया जाएगा। सामान्य तथा घर से घर कूड़ा, संग्रह के लिए 6 बजे से 11 बजे का समय तय किया जाएगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों व्यवसायिक स्थापनाओं दूकानों अथवा किसी अन्य संस्थागत अपशिष्ट उत्पादकों से कूड़ा के संग्रहण के लिए सामान्य रूप से समय 7 बजे से 12 बजे का होगा। तथापि शहरी स्थानीय निकाय अथवा आउटसोर्स की गई ऐजेंसी स्थानीय हालत और स्थिति के अनुसार अपशिष्ट संग्रहण का समय निश्चित कर सकेंगी।
- (vii) किसी संग्राहक वाहन में एक विशेष घंटा / हार्न / सीटी (जिसकी आवाज अनुज्ञेय शोर से ज्यादा न हो) लगाना चाहिए जिससे कि नियत समय पर आवासीय पृथक्कृत अपशिष्ट हस्तगत करने के लिए बाहर आ सकें।
- (viii) सब्जी, फल, फूल, मांस, मछली पॉल्ट्री बाजार से अपशिष्ट को दैनिक आधार पर संग्रहण किया जाएगा।
- (ix) उधान और बागवानी अपशिष्ट का संग्रहण एवं निपटाव पृथक् रूप से किया जाएगा। सप्ताह में एक या दो दिन इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (x) प्राईवेट एवं सरकारी नर्सरी बीजांकुरण के लिए उपयोग किए गए सभी पॉलिबैग को एक स्थान पर जमा कर वैज्ञानिक पद्धति से प्रसंसीकरण करना सुनिश्चित करेंगे। अगर वे ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो शहरी स्थानीय निकाय को इस उपविधि की अनुसूची-I में यथा विहित यूजर फीस देकर हस्तगत कर सकेंगे।
- (xi) फल और सब्जी बाजार, मांस और मछली बाजार, थोक उधान और बागवानी अपशिष्ट से बायोग्रेडेबुल अपशिष्ट के अधिकाधिक उपयोग और संग्रहण तथा परिवहन खर्च को कम करने के लिए ऐसे अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं उपचार उसी क्षेत्र के भीतर किया जाएगा जहाँ अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
- (xii) पात्रों में अपशिष्ट मानव द्वारा डालना प्रतिबंधित होगा। यदि बाधाओं के चलते अनिवार्य हो तो कर्मकारों की सुरक्षा के लिए सम्यक सावधानी के साथ उचित सुरक्षा के अधीन मानव शक्ति से क्रियान्वित किया जाएगा।
- (xiii) शहरी स्थानीय निकाय, जो उचित समझे, यूजर फीस अधिसूचित करेगी और अपशिष्ट उत्पादकों से स्वयं या प्राधिकृत ऐजेंसी के माध्यम से फीस का संग्रहण करेंगी। शहरी स्थानीय निकाय की सुविधा के लिए, नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपशिष्ट उत्पादकों की विभिन्न कोटियों के लिए सविस्तार युक्तियुक्त यूजर चार्ज तैयार किया गया है और उसे अनुसूची-I में विहित किया गया है। नगर पंचायत जगदीशपुर संपत्ति कर के साथ अथवा पृथक् रूप से, निर्वाचक बोर्ड द्वारा, जो निर्णय लिया गया हो, यूजर फीस का संग्रहण कर सकती है। यूजर फीस के लिए शहरी स्थानीय निकाय के मुद्रित रसीद का उपयोग किया जाएगा।
- (xiv) यूजर चार्ज शहरी स्थानीय निकाय/आउटसोर्स ऐजेंसी द्वारा उचित रूप से विज्ञापित किए जाएंगे और इन्हें पात्रों वाले रिक्शे तथा ऑटोटीपर पर प्रदर्शित भी किए जाएंगे। ऐजेंसी के नाम भी पात्रों वाले रिक्शे तथा ऑटोटीपर पर लिखे जाएंगे।
- (xv) शहरी स्थानीय निकाय अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत ऐजेंसी ठोस अपशिष्ट के डोर-टू-डोर संग्रहण या परिवहन को सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेवार होगी।

6. दैनिक गली-सफाई- नगर पंचायत जगदीशपुर शहर के प्रत्येक वार्ड में दैनिक सड़क सफाई के लिए व्यवस्था करेंगी। पर्याप्त संख्या में कर्मकार प्रत्येक सड़क पर लगाए जाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय सड़क सफाई के लिए लगाए जाने वाले कर्मकारों की संख्या निर्धारित करेगी। एक पात्र वाला हाथ गाड़ी, लंबा हाथ वाला झाड़ू, लोहे का प्लेट तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सड़क सफाई के लिए लगाए प्रत्येक कर्मकार को उपलब्ध किया जाएगा। चौड़ी सड़कों के लिए यांत्रिक सफाई मशीन का उपयोग किया जा सकेगा। यांत्रिक सफाई द्वारा झाड़ूकश में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है, धूल और वायु प्रदूषण को कम करने एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों से सफाई करने वालों को

बचाने में मदद कर सकती है, बड़े नालियो में मलबे को कम कर सकती है तथा जोखिम और दुर्घटनाओं को कम कर सकती है। शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अपशिष्ट संग्रहण के बाद कर्मकार द्वारा जलाया न जाय।

अध्याय-IV

ठोस अपशिष्ट का सेकेन्दरी स्टोरेज।

7. ठोस अपशिष्ट का सेकेन्दरी स्टोरेज-नगर पंचायत जगदीशपुर, जहाँ कहीं लागू हो वहाँ अपने से अथवा प्राधिकृत एजेंसी या ठीकेदारों के माध्यम से ठोस अपशिष्ट भंडारण सुविधाएँ स्थापित एवं संधारित करेगी कि वह उनके चारों तरफ अस्वास्थ्यपद/अस्वास्थ्यकर वातावरण सृजित न करें। भंडारण सुविधाएँ स्थापित एवं संधारित करते समय निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा-

- (i) उत्पादित ठोस अपशिष्ट का विनिर्दिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या के घनत्व का ध्यान रखते हुए सेकेन्दरी स्टोरेज सुविधाएँ स्थापित और संधारित की जाएंगी, किंतु दो भंडारण सुविधाओं के बीच कम से कम 500 मीटर की दूरी होगी। ऐसे स्थान पर पर्याप्त क्षमता के भंडारण पात्र अथवा बड़े आकार के कम्पैक्टर/ट्रांसफर स्टेशन के साथ भंडारण सुविधा होगी। समय के साथ शहरी स्थानीय निकाय शहर को कचरा कंटेनरों से मुक्त करने के लिए धीरे-धीरे ऐसे कंटेनरों को हटाने की कोशिश करेगा।
- (ii) दरवाजे से संग्रह किया गया पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को ठोस भंडारण डिपो अथवा अपशिष्ट सुविधाओं अथवा स्टोरेज के लिए बने बिन तक ले जाया जाएगा और आवश्यकतानुसार आगे प्रोसेसिंग या निपटान सुविधा तक परिवहन किया जाएगा।
- (iii) शहरी स्थानीय निकाय अथवा द्वारा किसी अन्य एजेंसी द्वारा स्टोरेज सुविधा का इस प्रकार डिजाईन किया जाएगा कि जमा किया गया कूड़ा-कचरा वातावरण में खुला न छोड़ा जाय, सौंदर्यपरक रूप से उपयोग कर्त्ताओं को ग्राह्य हो तथा कूड़ा-कचरा को केवल पात्र के भीतर ही रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- (iv) पृथक्कृत अपशिष्ट के सेकेन्दरी भंडारण के लिए शहरी स्थानीय निकाय उपयुक्त स्थानों पर विभिन्न रंगों के पात्र को निम्नवत् रखेगी :-
 (क) हरा रंग का पात्र-बायो डिग्रेडेबुल अपशिष्ट/ गीला अपशिष्ट के लिए;
 (ख) नीला रंग का पात्र-रिसाइकिलेबुल अपशिष्ट/सूखा अपशिष्ट के लिए;
 (ग) काला रंग का पात्र-अन्य अपशिष्टों के लिए।
- (v) प्रत्येक स्ट्रीट भंडर अपने क्रियाकलाप के क्रम के दौरान उत्पादित अपशिष्ट, जैसे खाद्य अपशिष्ट, डिस्पोजेबुल प्लेट्स, कप, कैन, रैपर, नारियल खोल, छोड़ दिया गया भोजन, सब्जी, फल आदि के भंडरण के लिए उपयुक्त पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ठोस भंडारण डिपो या पात्र या वाहन पर जमा करेगा।
- (vi) शहरी स्थानीय निकाय अथवा उसकी निविदिष्ट एजेंसी सभी बिन को, जब भी आवश्यक हो, को साफ और गैर संक्रमित करने का कार्य करेगी।
- (vii) शहरी स्थानीय निकाय, आवश्यकतानुसार, मैटेरियल रिकवरी सुविधा, (एम.आर.एफ.), जो स्ट्रीट/डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण सेवा के माध्यम से प्राप्त सूखा अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए उपयोग करेगी, के लिए निर्दिष्ट स्थल की स्थापना करेगी। पृथक्करण क्रियाकलापों में लगे अनौपचारिक वेस्ट पिकर्स/एस.एच.जी. सदस्यों को शामिल करने के लिए प्रावधान किए जाएंगे।
- (viii) शहरी स्थानीय निकाय वेस्ट पिकर्स तथा कबाड़ियों/रिसाइकिलर्स के द्वारा एम.आर.एफ. सुविधा से सीधे सूखा अपशिष्ट के संग्रहण के लिए प्रावधान भी करेगी।
- (ix) शहरी स्थानीय निकाय अथवा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत सोसाइटी, संगठन/व्यक्ति द्वारा उन व्यक्तियों; हाउसिंग सोसाइटीज, वाणिज्यिक स्थापनाओं और अन्य थोक अपशिष्ट उत्पादकों के विरुद्ध, जो सार्वजनिक सड़कों/गलियों पर अपशिष्ट नहीं फैलाने के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, कार्रवाई करेगी। नगरपालिका द्वारा मुद्रित रसीद पर व्यक्ति/अपराधी से आर्थिक शास्ति वसूल की जाएगी।
- (x) बूचर, मांस और मछली बाजार तथा सब्जी एवं फल बाजार से प्राप्त अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबुल प्रकृति और उच्च कैलोरिक मूल्य के होते हैं इसलिए इस अपशिष्ट का प्रबंधन इस रीति से किया जाएगा कि उसका उपयोग ऊर्जा या मेथेन गैस उत्पाद अथवा कंपोस्ट के लिए किया जा सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए, व्यवसायी स्वयं अथवा उनका संगठन अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और निपटार के लिए स्वयं प्रबंधन करेंगे। बिना प्रोसेसिंग के सार्वजनिक सड़कों/गलियों/खुली जगहों पर अपशिष्ट फेंकना अवैध और दंडनीय अपराध माना जाएगा।

- (xi) जैव चिकित्सा अपशिष्ट तथा औद्योगिक अपशिष्ट नगरपालिका ठोस अपशिष्ट एक साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा और ऐसे अपशिष्ट का संग्रहण इस प्रयोजनार्थ पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (xii) निर्माण और विध्वंस द्वारा उत्पादित अपशिष्ट/मलवा पृथक रूप से संग्रहित किए जाएंगे और निचले क्षेत्र पर निपटाए जाएंगे और उनका पुनः उपयोग सड़क निर्माण इत्यादि निर्माण क्रियाकलाप के लिए किया जाएगा। प्राईवेट निर्माण/विध्वंस को अपशिष्ट का परिवहन अपने स्वयं के अधीन प्रबंधन के चिन्हित पर अथवा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत संवेदक को विहित चार्ज देकर किया जाएगा। ऐसे प्राईवेट मलवा को सड़क अथवा सार्वजनिक स्थानों पर 5 दिनों के लिए फेंकना या जमा करना उल्लंघन माना जाएगा और अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट शासित व्यक्तियों से वसूल की जाएगी।
- (xiii) अपशिष्ट (कूड़ा-कचरा या सूखी पत्तियाँ आदि) खुली हवा में नहीं जलाया जाएगा।
- (xiv) कोई भी व्यक्ति अपने भवन, संस्थान या वाणिज्यिक स्थापना से अपशिष्ट जल, मटमैला जल विष्टा (नाईट सोएल) गोबर, मलमूत्र इत्यादि इस रीति से नहीं जमा करेगा या फेंकेगा जो उसके सड़ांध से वातावरण प्रदूषित और सार्वजनिक स्वास्थ्य को हानि कर सके अथवा यातायात बाधित कर सके जिसमें असफल होने पर लगने वाले चार्ज ऐसे अपशिष्ट फैलाने और अवैध कार्रवाई के लिए दायी होने के लिए स्थल पर उद्गृहीत किया जाएगा।
- (xv) मृत पशु किसी भी व्यक्ति द्वारा सड़क/सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखे जाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय को तुरंत सूचित किया जाएगा यदि कोई मृत पशु सड़क/सार्वजनिक स्थान पर पड़ा हुआ पाया जाता है। शहरी स्थानीय निकाय तुरंत पशु दाहगृह या उपयुक्त जगह में मृत पशु का निपटान करेगी। व्यक्तियों द्वारा सड़कों/सार्वजनिक स्थानों पर मृत पशुओं का फेंका जाना दंडनीय अपराध होगा। शहरी स्थानीय निकाय अथवा उसका प्राधिकृत व्यक्ति वैसे व्यक्तियों से स्थल पर ही चार्ज वसूल कर सकेगा।

अध्याय-V

ठोस अपशिष्ट का परिवहन।

8. ठोस अपशिष्ट के परिवहन की व्यवस्था :- ठोस अपशिष्ट के परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहन सम्यक् रूप से बंद होने वाले होते हैं ताकि अपशिष्ट आमजनों को दिखाई न दे और अपशिष्ट परिवहन के दौरान सड़क पर कहीं भी न छितराए। अपशिष्ट परिवहन के दौरान निम्नलिखित मानक बनाए रखे जाएंगे :-

- (i) प्रत्येक मकान, वाणिज्यिक स्थापना, सेकेन्डरी स्टोरेज कंटेनरों से संग्रहित अपशिष्ट का परिवहन प्रत्येक दिन नियमित अंतराल पर पृथक्कृत रीति से किया जाएगा ताकि कोई सेकेन्डरी स्टोरेज कंटेनर गिर न जाय और अपशिष्ट 24 घंटे से ज्यादा अस्थायी डम्पिंग स्थल पर पड़ा न रहे।
- (ii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहित पृथक्कृत बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट ढँककर प्रोसेसिंग प्लांट, जैसे कंपोस्ट प्लांट, बायो-मेथेनैशन प्लांट या ऐसी ही अन्य सुविधा तक अंतरित कर दिया जाएगा।
- (iii) ट्वीन बीन डम्पर प्लेसर/कंपैक्टर वाहन का उपयोग सेकेन्डरी स्टोरेज कंटेनरों को उठाने और ले जाने के लिए किया जाएगा। सेकेन्डरी स्टोरेज को ले जाते समय शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि परिवहन के समय कंटेनर का ढक्कन बंद हो।
- (iv) सभी वाहनों का नियमित संधारण या तो शहरी स्थानीय निकाय में अपने स्वयं के वर्कशाप में अथवा संधारण संविदा के माध्यम से सुनिश्चित करेगी।
- (v) कम से कम 5% वाहन तैयार रखे जाएंगे किंतु ये तैयार वाहन का उपयोग भी स्टेशन के आधार पर किया जाएगा।
- (vi) सभी वाहन परिवहन प्राधिकार से रजिस्ट्रीकृत होंगे और कम से कम तृतीय पक्ष के नुकसान के लिए बीमाकृत होंगे।
- (vii) वाहन के प्रकार और क्षमता इस रूप में विनिश्चित होनी चाहिए कि वह आर्थिक और व्यावहारिक हो। प्रत्येक वाहनों का अधिकाधिक उपयोग किया जाएगा और प्रतिदिन इतनी संख्या ट्रिप के योग्य होंगे जितनी अपशिष्ट के परिवहन के लिए आवश्यक हो।
- (viii) ऑटो ट्रिपर्स का उपयोग प्रोसेसिंग स्थल/अपशिष्ट निपटान स्थल तक कूड़ा-कचरा के परिवहन के लिए किया जाएगा यदि स्थल सेकेन्डरी स्टोरेज स्थल से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर न हों।
- (ix) शहरों में जहाँ अपशिष्ट जमीन पर डम्प किया जाता है और लोडर बैक हो स्कीड स्टियर लोडर का उपयोग अपशिष्ट को वाहन में लादने और अंतरित करने के लिए किया जाता हो वहाँ अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयुक्त क्षमता वाले ट्रिपर ट्रक का उपयोग किया जाएगा। भूमि से वाहन में अपशिष्ट को मानव द्वारा लादने का कार्य धीरे-धीरे रोक दिया

- जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में मानव द्वारा लादने का कार्य उचित सुरक्षा तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पी.पी.ई.) के उपयोग के साथ किया जाएगा।
- (x) शहरी स्थानीय निकाय, सेकेंडरी परिवहन वाहनों की आवश्यकता, निर्धारित करेगी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के सुचारु प्रचालन के लिए ऐसे वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

अध्याय—VI

ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग)

9. ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण:—नगरपालिका ठोस अपशिष्ट सामग्रियों, यथा—कंपोस्ट, ऊर्जा एवं ईंधन के उत्पादन के लिए एक अच्छा स्रोत है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट को उपयोगी सामग्री में बदलने के लिए विभिन्न तकनीक अपनाई जा सकती हैं। यह न केवल अपशिष्ट को मूल्यवान उत्पादों में बदलेगी बल्कि अपशिष्ट की मात्रा को भी कम करेगी जिसकी वैज्ञानिक रूप से निपटान के लिए आवश्यकता है—

- i. **नगर पंचायत जगदीशपुर** ठोस अपशिष्ट सुविधाएँ तथा सहयुक्त आधारभूत संरचना के लिए निर्माण, प्रचालन एवं संधारण को स्वयं किसी एजेंसी के माध्यम से उपयुक्त प्रौद्योगिकी, जैसे—ऐरोबिक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, मैकेनिकल कंपोस्टिंग, बायो—मैथेनेशन, वेस्ट टू इनर्जी अथवा सरकार द्वारा, समय समय पर, विहित अन्य अनुमोदित प्रक्रिया अपना कर ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों (कंपोनेन्ट्स) के अधिकाधिक उपयोग के लिए सुकर करेंगी।
- ii. परिवहन खर्च तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग, यथा—बायोमैथेनेशन, माइक्रो बायल कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ऐरोबिक डाईजेशन अथवा बायोडिग्रेडेबुल अपशिष्ट को बायो—स्टाईब्लाईजेशन के लिए किसी अन्य समुचित प्रोसेसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी।
- iii. नन—बायोडिग्रेडेबुल अपशिष्ट को विभिन्न स्ट्रीम जैसे—रिसाईक्लेबल, दहनीय, इनर्ट इत्यादि के सॉर्टिंग और बेलिंग के लिए मैटेरियल रिकवरी सुविधाओं तक भेजा जाएगा। दहनीय तथा इनर्ट अपशिष्ट सिमेंट किल्न में को—प्रोसेसिंग के लिए सिमेंट प्लांट भेजा जा सकेगा और रिसाईक्लेबल को सीधे रिसाईकिलिंग इकाई को वेस्ट पिकर्स या कबाड़ीवालों के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।
- iv. नन—बायोडिग्रेडेबुल अपशिष्ट, जिसे रिसाईकिल न किया जा सकता हो और 1500 के कैलोरी/किलोग्राम से अधिक कैलरिक मूल्य वाला हो, का उपयोग प्रोसेसिंग, अपशिष्ट के ज्वलनशील प्रयोग के लिए मल से निकाले गए ईंधन सहित वेस्ट टू इनर्जी प्रोसेस के लिए उपयोग किया जाएगा अथवा ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा प्लांट अथवा सिमेंट किल्न को फिडबैक के रूप में आपूर्ति भी की जा सकती है।
- v. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रसंस्करण निर्माण एवं विध्वंस ठोस प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- vi. ठोस अपशिष्ट के प्रोसेसिंग से इनर्ट वेस्ट तथा रिजेक्ट्स का निपटान सैनिटरी लैंडफील सुविधा में किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय का उद्देश्य 10% से कम अपशिष्ट भूमि भराई के लिए भेजना होगा।
- vii. शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि रिसाईकिलेबुल्स, जैसे—कागज, प्लास्टिक, मेटल, शीशा, कपड़ा इत्यादि प्राधिकृत रिसाईकिलर्स के पास जाय।
- viii. ईंधन का उपयोग करने वाली और मल से निकले ठोस अपशिष्ट आधारित ईंधन प्लांट से एक सौ किलोमीटर के भीतर अवस्थित सभी औद्योगिक इकाईयाँ अपनी ईंधन—आवश्यकता के कम से कम 5 प्रतिशत को, मल से इस प्रकार उत्पादित ईंधन से, प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था करेंगे।
- ix. **नगर पंचायत जगदीशपुर** यह सुनिश्चित करेगी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रोसेसिंग आरंभ करते समय, जैसे ही आवश्यकता हो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकार से अपेक्षित कानूनी अनुमोदन/प्राधिकरण प्राप्त किया जाय।

अध्याय—VII

ठोस अपशिष्ट के निपटान

10. ठोस अपशिष्ट के निपटान की व्यवस्था—

- (1) ठोस अपशिष्ट के प्रोसेसिंग के साथ नगरपालिका ठोस अपशिष्ट इनर्ट एवं रिजेक्ट्स का निपटान वैज्ञानिक रीति से स्वच्छ भूमि भराई सुविधा में किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में विहित प्रावधानों के अनुसार भूमि भराई स्थल की पहचान की जाएगी।

- (2) भूमि भराई स्थल न्यूनतम 20—25 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर होगा भूमि भराई के लिए बहुमूल्य भूमि की आवश्यकताओं को कम करने के लिए बायोडिग्रेडेबुल अपशिष्ट को कंपोस्ट/ऊर्जा में बदल कर उपयोगी सामग्री के रिसाईकिलिंग द्वारा नगरपालिका अपशिष्ट कम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- (3) क्षेत्रीय स्वच्छ भूमि भराई सुविधा के माध्यम से नगरों एवं शहरों के एक ग्रुप क्रियान्वित किया जा सकेगा ताकि अपशिष्ट के अधिकतर मात्रा का निपटान व्यक्तिगत भूमि भराई स्थल की तुलना में भूमि के कम क्षेत्र पर हो सके। क्षेत्रीय भूमि भराई के स्थल से 50 किलोमीटर की दूरी के भीतर के शहर एक क्षेत्रीय भूमि भराई प्रबंधन सोसाइटी का निर्माण करेंगे। सोसाइटी का अध्यक्ष बड़ी जनसंख्या वाले शहर का मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी होगा जबकि अन्य सदस्य शहर के मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी सोसाइटी के सदस्य होंगे।
- (4) भूमि भराई अथवा क्षेत्रीय भूमि भराई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुपालन में तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल में विनिर्दिष्ट मानकों का पालन करते हुए विकसित किया जाएगा। भूमि भराई स्थल किसी प्रकार की नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, राजमार्ग, आवास स्थलों, सार्वजनिक पार्क तथा जलापूर्ति कुओं से 200 मीटर तथा किसी प्रकार के एयरपोर्ट या एयरबेस से 20 कि.मी. दूर हटकर होंगे। तथापि विशेष मामले में भूमि भराई स्थल, यथास्थिति, सिविल एंवायोरनमेंट प्राधिकार/एयरपोर्ट/एयरबेस से 10 और 20 कि.मी. की दूरी के भीतर स्थापित किए जा सकेंगे। भूमि भराई स्थल, विगत 100 वर्षों से बाढ़ग्रस्त इलाके के रूप में अभिलिखित, कोस्टल रेगुलेशन जोन, वेट लैंड, क्रिटिकल हैबिटाट एरिया और संवेदनशील ईको फ्राजिल एरिया के भीतर अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।
- (5) **नगर पंचायत जगदीशपुर** नगरपालिका अपशिष्ट को नगरपालिका क्षेत्र के भीतर सड़क के किनारे या खाली भूमि पर डम्प नहीं करेगी। शहरी स्थानीय निकाय अथवा क्षेत्रीय भूमि भराव प्रबंधन सोसाइटी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से और राज्य पर्यावरणी प्रभाव निर्धारण प्राधिकार से भूमि भराई स्थल अथवा क्षेत्रीय भूमि भराई स्थल के विकास के पूर्व आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करेगी।

अध्याय—VIII

स्टेक होल्डरों का उत्तरदायित्व

11. शहरी स्थानीय निकाय का उत्तरदायित्व—

- (1) **नगर पंचायत जगदीशपुर**, सभी सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक स्थानों कॉलोनिजों स्लम क्षेत्रों, बाजारों, पर्यटक स्थलों, नदी किनारे के घाटों और अन्य जलाशयों, धार्मिक स्थलों, पार्क, दाह संस्कार स्थलों इत्यादि की दैनिक सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। शहरी स्थानीय निकाय इन स्थानों से संग्रहण किए गए कूड़ा-कचरे को नजदीकी कूड़ा-पात्र/अंतरण स्थल पर अंतरित करने के और बंद वाहन का उपयोग करके प्रतिदिन प्रोसेसिंग स्थल/निपटान स्थल तक उसका परिवहन करने के लिए वचनबद्ध होगी। शहरी स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि शहर के सभी थोक अपशिष्ट उत्पादक स्रोत पर पृथक्करण और अपने परिसरों में बायोडिग्रेडेबुल अपशिष्ट का उपचार कर रहे हैं।
- (2) **नगर पंचायत जगदीशपुर** नगर/शहर को साफ करने हेतु अपनी क्षमता के अनुसार अपने मानवशक्ति (सफाई कर्मी एवं चालक) और वाहनों और उपकरणों का अधिकाधिक उपयोग करेगी। सफाई कर्मी डोर-टू-डोर संग्रहण, गली-सफाई, ब्रस कटिंग, और नाला-सफाई क्रियाकलाप सुनिश्चित करने के लिए पात्र-युक्त रिवक्शा/पात्र-युक्त हाथ गाड़ी/ऑटो टीपर और आनुषांगिक उपकरणों के साथ वार्ड में नियोजित किए जाएंगे। शहरी स्थानीय निकाय अपनी अधिकारिता में अपना स्वयं के सफाई कर्मी लगाकर अथवा पारदर्शी बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से क्रियाकलाप के पूरे या उसके भाग का निजी ठीकेदार को आउटसोर्सिंग करके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करेगी।
- (3) शहरी स्थानीय निकाय और सेवा प्रदाय एजेंसी अपरॉन, मास्क, हैंड ग्लोव्स और गम बूट तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा के सामान, एक यूनिफार्म एक नियत अंतराल पर प्रत्येक सफाई कर्मी को उपलब्ध करेगी। शहरी स्थानीय निकाय शहरी स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित सभी सफाई कर्मियों का नियमित हेल्थ चेक-अप की व्यवस्था भी करेगी।
- (4) नगर की पूर्ण दैनिक सफाई व्यवस्था का प्रबंध करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय केन्द्रित रूप से शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय पर अथवा वार्ड पर या जोन/सर्किल के स्तर पर शिकायत निवारण सेल स्थापित करेगी। केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्र के पास नागरिकों से शिकायत प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर रखना होगा जिसे शहरी स्थानीय निकाय/आउटसोर्स की गई एजेंसी के प्रत्येक पात्र और वाहन पर प्रदर्शित किया जाएगा। टोल-फ्री नम्बरों को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी प्रकाशित किया जाएगा।

- (5) शहरी स्थानीय निकाय अच्छी गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी के पर्याप्त संख्या में अपेक्षित वाहनों एवं उपकरणों को उपलब्ध करेगी। पुराने वाहनों और उपकरणों का नियमित संधारण सुनिश्चित करेगी। जहाँ तक संभव हो, शहरी स्थानीय निकाय वाहनों का मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु वाहनों के संग्रहण के लिए लाईव और/या जी.पी.एस. ट्रैकिंग समर्थ करेगी।
- (6) व्यावसायिक क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में लीटर बीन और पूजा स्थल, पार्क और बस स्टैंड जैसे सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों को प्रदान किये जाएंगे। गीले अपशिष्ट और सूखे अपशिष्ट का निपटान करने के लिए प्रत्येक स्थान पर दो प्रकार के कूड़ेदान बीन उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (7) उपयुक्त आकार के पर्याप्त संख्या में कूड़ा पात्रों को उपयुक्त स्थानों पर रखेगी ताकि सड़क सफाई, डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण में लगे सफाई कर्मियों को सेवा क्षेत्रों में एक दिन में 2000 मीटर से ज्यादा चलना नहीं पड़े। कूड़ा पात्रों को हाथ से हैंडिल नहीं किया जाएगा और अपशिष्ट का परिवहन वाहनों, प्रोसेसिंग और निपटान स्थलों तक यांत्रिक रूप से किया जाएगा। समय बितने पर शहरी स्थानीय निकाय को बीन फ्री करने हेतु पात्रों को धीरे-धीरे हटाने का प्रयास करेगी।
- (8) प्रोसेसिंग स्थल/अपशिष्ट निपटान स्थल तक अपशिष्ट के परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा पर्याप्त संख्या में चालक और सहायक के साथ वाहन तैनात किए जाएंगे। सभी ऐसे वाहन चारों तरफ से आवश्यक रूप से आच्छादित होंगे
- (9) उपयुक्त खाली जगहों का उपयोग अपशिष्ट सामग्रियों के पृथक्करण के लिए किया जाएगा। इन जगहों का उपयोग अंतरण स्थल के रूप में भी किया जाएगा। अंतरण स्थल आवासीय क्षेत्र में निर्मित/स्थापित नहीं किया जाएगा। इन स्थापनाओं द्वारा निपटान किया गया बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का परिवहन सेकेंडरी स्टोरेज स्थल/अंतरण स्थल से अपशिष्ट प्रोसेसिंग/निपटान स्थल तक बंद वाहन का उपयोग करते हुए किया जाएगा। अपशिष्ट के परिवहन के दौरान वाहन से कूड़े का कोई छितराव नहीं होगा।
- (10) नगरपालिका प्राधिकार प्रतिदिन कम से कम दो बार प्रत्येक मकान, दूकान, वाणिज्यिक स्थापना कार्यालय, संस्थान, होटल, रेस्तराँ, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम धार्मिक स्थान, अपार्टमेंट इत्यादि के दरवाजे से अपशिष्ट संग्रहण द्वारा, नगर को 'कंटेनर मुक्त शहर' करने के लिए सभी प्रयास करेगा।
- (11) उपर्युक्त के अलावे **नगर पंचायत जगदीशपुर** निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार हैं :-
 - (क) स्लम, अनौपचारिक आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य गैर आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से पृथक्कृत अपशिष्ट का डोर-टू-डोर संग्रहण करना;
 - (ख) मुख्य द्वार से अथवा बहुमंजिल भवनो, बड़े वाणिज्यिक स्थापनाओं, मॉल, आवासीय अपार्टमेंट में नन-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के सिंगल बिंदु से अपशिष्ट का संग्रहण करना;
 - (ग) रैग पिकर्स/औपचारिक अपशिष्ट संग्राहक को प्राधिकृत करने के लिए प्रक्रिया स्थापित करना;
 - (घ) स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण और सार्वजनिक स्थानों न छितराने अथवा कहीं भी अपशिष्ट न जलाने के लिए निदेश अपशिष्ट उत्पादकों को जारी करना;
 - (ङ) स्थानों की पहचान करना और अपशिष्ट पृथक्करण और अपशिष्ट स्टोरेज के लिए सुविधा उपलब्ध करना जहाँ रैग पिकर्स और अपशिष्ट संग्रहणकर्ता रिसाइकिलेबल अपशिष्ट, जैसे-कागज, प्लास्टिक, मेटल, शीशा इत्यादि को पृथक्कृत करेंगे।
 - (च) संग्रहण के लिए समुचित संख्या में वेस्ट डिपोजिशन सेन्टर की स्थापना करना और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को प्राप्त करना तथा ऐसे सेन्टर पर घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को प्राप्त करने का समय अधिसूचित भी करना;
 - (छ) सड़क सफाई के दौरान संग्रह की गई पत्तियाँ न जलाने का निदेश जारी करना;
 - (ज) उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करना जिसमें निम्नलिखित प्रौद्योगिकी शामिल हैं-
 - (1) बायो मेथानेशन, एरोबिक कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, एनइरोबिक डाईजेशन अथवा बायोस्टेबलाइजेशन की कोई अन्य उपयुक्त प्रक्रिया;
 - (2) ऊर्जा उत्पादन के लिए हाई कैलोरिक अपशिष्ट का उपयोग, वेस्ट टू इनर्जी प्लांट या सिमेंट फरनेस में फिड स्टॉक।
 - (झ) अपनी निधि अथवा पी.पी.पी. मोड पर भूमि भराई सुविधा के निर्माण, परिचालन रख-रखाव सुनिश्चित करना;
 - (ञ) केवल गैर-उपयोगी, गैर-रिसाइक्लेबल, नन-बायोडिग्रेडेबल अज्वलनशील तथा नन-इनर्ट अपशिष्ट और प्रिप्रोसेसिंग रिजेक्ट्स, स्वच्छ भूमि भराव के लिए अपशिष्ट प्रोसेसिंग

सुविधाओं से जाने वाला अवशिष्ट की स्वीकृत देना और स्वच्छ भूमि भराव स्थल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में दिए गए विनिर्दिष्टताओं को पूरा करेंगे तथापि भूमि भराव हेतु जाने वाले शून्य अपशिष्ट को इच्छित उद्देश्य प्राप्ति हेतु रिजेक्ट्स के रिसाईकिल या पुनः उपयोग के प्रयास किए जाएंगे।

- (ट) सभी पुराने खुले स्थलों और वर्तमान परिचालित डम्प स्थलों का अनुसंधान एवं विश्लेषण उनके बायो माइनिंग तथा बायो रिमेडिएशन के लिए करना और जहाँ कहीं भी संभव हो, स्थल को बायो माइन या बायो मेडिएट करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना;
 - (ठ) अपशिष्ट प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान के लिए यदि अपशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन पाँच मेट्रिक टन से ज्यादा हो तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त हेतु करने प्रपत्र-I में आवेदन करना;
 - (ड) प्रपत्र-IV में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अन्य संबंधित विभाग को प्रतिवर्ष 30 मई के पहले समर्पित करना;
 - (ढ) रैग पिकर्स और अपशिष्ट संग्राहकों को अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट न छितराने, कम करने, स्रोत पर पृथक्करण, घर के स्तर पर कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग इत्यादि की सार्वजनिक जागरूकता के बारे में प्रशिक्षण देना;
 - (ण) शहरी स्थानीय निकाय सूचना, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता सृजित करेगी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली तथा इस उपविधि के प्रावधानों के बारे में शिक्षित करेगी।
 - (त) शहरी स्थानीय निकाय रासायनिक खादों का उपयोग अपने द्वारा संधारित सभी पदार्थों, बागों में और जब कभी संभव हो अपनी अधिकारिता के अधीन अन्य स्थानों में चरबद्ध रूप से समाप्त करेगी। अनौपचारिक अपशिष्ट रिसाईकिलिंग सेक्टर द्वारा रिसाईकिलिंग इनसेंटिव के लिए इन्सेंटिव दिए जाएंगे।
 - (थ) शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट को संग्रहण, परिवहन तथा उत्तराई-घराई में लगे अपने स्टाफ तथा आउटसोर्स की गई। एजेंसी के स्टाफ को पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण देकर पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
 - (द) किसी ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग, उपचार या निपटान सुविधा या भूमि भराव स्थल पर किसी दुर्घटना की दशा में, सुविधा का प्रभारी अधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय के नगरपालिका पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी को, तुरंत रिपोर्ट करेगा और मामले की समीक्षा की जाएगी और अनुदेश, यदि कोई हो, सुविधा के प्रभारी अधिकारी को जारी किया जाएगा।
 - (ध) शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय/सभी जोन/वार्ड कार्यालय इत्यादि पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली और इस उपविधि के कार्यों के साथ सहयुक्त कर्मियों की उपस्थिति लेने और अभिलिखित करने के लिए बायोमेट्रिक/स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकी/आई.सी.टी. प्रणाली स्थापित करेगी।
- (12) **नगर पंचायत जगदीशपुर** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में उल्लिखित सभी अन्य कर्तव्यों का, जो उस उपविधि में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किए गए हैं, पालन करेगी।

12. डिस्पोजेबुल उत्पादों, स्वास्थ्य संबंधी नैपकीन तथा डाइपर अथवा ब्रांड स्वामियों के कर्तव्य—

- (1) डिस्पोजेबुल उत्पादों, जैसे—टीन, शीशा, प्लास्टिक, पैकिंग इत्यादि के सभी निविर्माता अथवा ब्रांड स्वामी जो **नगर पंचायत जगदीशपुर** की अधिकारिता के भीतर ऐसे उत्पादों को बाजार उपस्थापित करते हैं, जागरूकता तथा क्षमता निर्माण के सृजन के लिए नगरपालिका को निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन आवश्यक सहायता उपलब्ध करेंगे।
- (2) सभी ऐसे ब्रांड स्वामी जो ऐसे पैकेजिंग मैटेरियल में, जो बायो-डिग्रेडेबुल हैं, अपने उत्पाद बेचते या बाजार में देते हैं, अपने उत्पादन के चलते उत्पादित पैकेजिंग अपशिष्ट को वापस संग्रह हेतु एक प्रणाली रखेंगे।
- (3) स्वास्थ्य संबंधी नैपकीन एवं डाइपर के विनिर्माता या ब्रांड स्वामी या मार्केटिंग कंपनी अपने उत्पादों में सभी रिसाईक्लेबल मैटेरियल के उपयोग की संभावना की खोज करेंगी अथवा वे अपने स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के पैकेट के साथ प्रत्येक नैपकीन या डाइपर के डिस्पोजल के लिए एक पाउच या रैपर उपलब्ध करेंगे।

- (4) सभी ऐसे निनिर्माता, ब्रांड स्वामी अथवा मार्केटिंग कंपनियाँ अपने उत्पादों के रैपिंग तथा डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेंगी।

अध्याय-IX

समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति।

13. समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन—ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों को एक प्रभावी रीति से क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों के क्रियान्वयन की समीक्षा एवं मॉनिटर करने हेतु जिला स्तर पर, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम जनसंख्या वाले स्थानीय नगर निकाय के नगर आयुक्त अथवा नगर कार्यपालक पदाधिकारी समिति के सदस्य-सचिव होंगे। समिति राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों के सदस्यों तथा सामुदायिक/सिविल सोसाइटी से कुछ मनोनित सदस्य को रखेगी। समिति का गठन निम्नवत् होगा :-

- (i) जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष);
- (ii) जिले के सभी शहरी स्थानीय निकाय के मेयर एवं सभापति;
- (iii) जिले के सभी शहरी स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी;
- (iv) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिले में वरिष्ठतम प्रभारी पदधारी;
- (v) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मनोनित पदधारी (क्षेत्रीय अधिकारी/ए.ई.ई./वैज्ञानिक);
- (vi) शहरी विकास के क्षेत्र में विशेष जानकारी एवं अनुभव रखने वाले सामाजिक या सार्वजनिक क्षेत्र से जिले का कोई प्रख्यात व्यक्ति (जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मनोनित);
- (vii) शहरी विकास के क्षेत्र में जिले में सिविल सोसाइटी संगठन कार्य का कोई प्रख्यात व्यक्ति/पदधारी (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित);
- (viii) वरिष्ठ नागरिक कोटि में कोई प्रख्यात व्यक्ति (जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनित);

14. जिला स्तरीय समीक्षा एवं मॉनिटरिंग समिति निम्नलिखित कार्यों का जिम्मा लेगी—

- (क) ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन क्रियाकलापों से संबंधित कार्यों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करना तथा ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर जिला के शहरी स्थानीय निकाय की कार्य योजना का पुनर्विलोकन करना, तथा प्लास्टिक एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 एवं इस उपविधि के सभी प्रावधानों को क्रियान्वयन करना।
- (ख) ठोस अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का बेसलाइन डाटाबेस तैयार करने तथा स्थिति विश्लेषण करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को निदेश देना।
- (ग) ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अभियान की प्रगति का मॉनिटरिंग करना और यथावश्यक सामयिक सुधार करना तथा नियमित समीक्षा करना एवं नगर विकास एवं आवास विभाग तथा अन्य राज्य समन्वय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना;
- (घ) शहरी स्थानीय निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग डिस्पोजल सुविधा स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और स्थान निर्धारण पर, तीन माह पर कम से कम एक बार जिला के सारे शहरी स्थानीय निकाय के कार्यपालन की समीक्षा समिति करेगी;
- (ङ) वार्ड स्वच्छता समिति, सहायक संगठन, लाईन विभागों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ प्रणाली स्थापित करने में जो ठोस तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के सामुदायिक स्तर पर मॉनिटरिंग तथा प्रबंधन करने को समर्थ करें, के समन्वय से, सीधा निदेश देगी और कार्य करेगी;
- (च) शहरी स्थानीय निकाय के परामर्श से वार्ड स्तरीय मॉनिटरिंग के लिए किसी समिति/उपसमिति को उत्तरदायित्व सौंपेगी।

अध्याय-X

यूजर्स फीस तथा स्पॉट जुर्माना/शास्ति का उद्ग्रहण।

15. यूजर्स फीस का संग्रहण—

- (1) शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपशिष्ट उत्पादकों से कूड़ा संग्रहण, परिवहन तथा निपटान के लिए सेवा उपलब्ध करने के लिए यूजर्स फीस नियत करेगी।
- (2) उस प्रकार नियत यूजर फीस का संग्रहण अपशिष्ट उत्पादक से शहरी स्थानीय निकाय अथवा इस निमित्त नगर आयुक्त या कार्यपालक अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, प्राधिकृत एजेंसी या व्यक्ति द्वारा, किया जाएगा।

- (3) नगर पंचायत जगदीशपुर यूजर फीस का संग्रहण संपत्ति कर के साथ अथवा निर्वाचक बोर्ड द्वारा निर्णयानुसार पृथकरूप से कर सकेगी। यूजर फीस के संग्रहण के लिए शहरी स्थानीय निकाय की मुद्रित रसीद का उपयोग किया जाएगा।

16. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के उल्लंघन के लिए अभियोजन तथा शास्तियाँ—

- (1) नागरिक/अपशिष्ट उत्पादक/प्रदूषक द्वारा इस उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन या भंग की दिशा में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।
- (2) जो भी कोई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली अथवा इस उपविधि के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है अथवा उनका पालन करने में असफल रहता है तो नीचे दी गई अनुसूची-II में यथा विहित जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।
- (3) उपखंड (1) में यथोल्लिखित दुबरा उल्लंघन या अनुपालन की दशा में प्रत्येक ऐसे व्यक्तिक्रम के लिए, यथास्थिति, प्रतिदिन या प्रतिमाह जुर्माने की राशि उद्गृहीत की जाएगी।
- (4) नगर पंचायत जगदीशपुर इस निमित्त, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा जुर्माना या शास्ति उद्ग्रहण के लिए अधिकारी अभिहित करेगी। जुर्माने/शास्ति की राशि अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट है।

अध्याय—XI

विविध।

17. सरकारी निकायों के साथ समन्वय—नगर पंचायत जगदीशपुर अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के भीतर इस उपविधि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों एवं प्राधिकारों के साथ समन्वय करेगी।

18. क्रियान्वयन की समीक्षा—नगर पंचायत जगदीशपुर कम से कम प्रतिमाह इस उपविधि के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी तथा इस उपविधि के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समुचित कदम उठाएगी।

19. नियमों एवं विनियमों की व्यावृत्ति—इस उपविधि के प्रवृत्त होने के पूर्व लागू नियमों/विनियमों के अनुसार की गई कोई कार्रवाई इस उपविधि के प्रभावी होने के कारण शून्य नहीं समझी जाएगी बशर्ते कि वैसी कार्रवाई से इस उपविधि का उल्लंघन न होता हो।

अनुसूची—I

(यूजर चार्ज)

(यह परामर्श है— नगर पंचायत जगदीशपुर अपने स्तर से यूजर चार्ज नियत कर सकेगी)

क्रमांक	व्यौरा	न्यूनतम मासिक चार्ज (रुपये में)		
		नगर निगम	नगर परिषद	नगर पंचायत
क	आवासीय			
(i)	आवासीय मकान	30	25	20
(ii)	गरीबी रेखा से नीचे स्लम तथा मकान	00	00	00
(iii)	अपार्टमेंट्स, हाउसिंग सोसाईटीज, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन	1500	1000	500
ख	गैर आवासीय			
(i)	स्ट्रीट भेंडर	50	30	20
(ii)	दूकान/इंटरिज (मिठाई की दूकान, ढाबा, कॉफी हाउस इत्यादि)	100	75	50
(iii)	रेस्तराँ, गेस्ट आउस, धर्मशाला, होटल, आदि	500	250	150
(iv)	प्राइवेट एवं सरकारी पौधशाला	500	250	150
(v)	स्टार होटल अथवा स्टार होटल के समकक्ष होटल	5000	5000	500
(vi)	वाणिज्यिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बीमा कार्यालय, बैंक, कोचिंग क्लासेज और शिक्षण संस्थान	500	250	150
ग	चिकित्सा संस्थान	नन बायोमेडिकल अपशिष्ट		
(i)	क्लिनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज	250	150	100

क्रमांक	ब्योरा	न्यूनतम मासिक चार्ज (रुपये में)		
		नगर निगम	नगर परिषद	नगर पंचायत
(ii)	हॉस्पिटल (50 विस्तार तक)	1500	1200	1000
(iii)	हॉस्पिटल (50 विस्तार से अधिक)	3000	2000	1500
घ	विविध			
(i)	धार्मिक स्थान	100	50	30
(ii)	नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित लघु एवं मध्यम उद्यम जो 10 कि.ग्रा. प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पादित करते हैं।	500	300	200
(iii)	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज	1000	750	500
(iv)	मैरेज हॉल, फेस्टीवल हॉल, प्रदर्शनी और व्यापार मेला	2500	1500	1000
(v)	अन्य जो ऊपर उल्लिखित नहीं है।	इसके निर्धारण तथा स्थानीय स्थिति के आधार पर नगरपालिका जो निश्चित करे।		

अनुसूची-II
(उपविधि के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माने की अनुसूची)

क्रमांक	उपविधि का विवरण	उपविधि के भंग के लिए लागू जुर्माने की राशि (रुपये में)
1.	आवासियों द्वारा गली या सड़क पर अपशिष्ट छितराने के लिए शास्ति।	प्रति घटना 300/-
2.	नीचे उल्लिखित के अलावे दुकानदारों द्वारा सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट छितराने के लिए शास्ति।	प्रति घटना 450/-
3.	रेस्तराँ स्थायी द्वारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट छितराने के लिए शास्ति।	प्रति घटना 700/-
4.	होटल स्वामी द्वारा सार्वजनिक स्थानों या खुले क्षेत्रों में अपशिष्ट डम्प करने के लिए शास्ति।	प्रति घटना 1000/-
5.	औद्योगिक स्थापनाओं द्वारा सार्वजनिक स्थानों या खुले में अपशिष्ट डम्प करने के लिए शास्ति।	प्रति घटना 2000/-
6.	मिठाई बिक्रेता, चाट, पकौड़ा, गोलगप्पा बिक्रेता, फास्ट फुड स्टॉल, आईसक्रीम स्टॉल, ईख का जूस बिक्रेता, फल और सब्जी बिक्रेता (गाड़ी पर/फुटपाथ पर सभी) ईटारिज इत्यादि।	प्रति घटना 200/-
7.	सार्वजनिक स्थानों या खुली जगहों में गोबर या डेरी अपशिष्ट डम्प करने के लिए शास्ति।	प्रति घटना 500/-
8.	सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट डम्प करने के लिए शास्ति।	प्रति घटना 1500/-
9.	बूचर/मीट शॉप स्वामी/मछली बिक्रेता द्वारा सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों पर, रक्त, हड्डी, पंख, चमड़ा, अंडा खोल तथा मृत पशुओं के अन्य अवशिष्ट को छितराने के लिए शास्ति।	प्रति घटना 1000/-
10.	सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों में मृत पशु जैसे-गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, केम, गदहा, घोड़ा, सूअर को फेंकने के लिए शास्ति।	प्रति घटना 2000/-
11.	सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों में मैरेज हॉल द्वारा कूड़ा डम्प करने के लिए शास्ति।	प्रति घटना 2000/-
12.	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम क्लिनिक, पैथोलोजी लैब, मेडिकल स्टोर इत्यादि द्वारा सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर नगरपालिका अपशिष्ट डम्प करने के लिए शास्ति।	प्रति घटना 1000/-
13.	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलोजी लैब आदि द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट का नगरपालिका वेस्ट में मिलाने पर शास्ति।	प्रति घटना 5000/-
14.	क्लब, सिनेमा हॉल, पब्स, कम्प्युनिटी हॉल आदि द्वारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों में अपशिष्ट को छितराने पर शास्ति।	प्रति घटना 1500/-

क्रमांक	उपविधि का विवरण	उपविधि के भंग के लिए लागू जुर्माने की राशि (रुपये में)
15.	हाउसिंग सोसाइटी/अपार्टमेंट/हाउसिंग कॉलोनी/ फाटकदार कम्युनिटिज आदि द्वारा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट छितराने पर शास्ति।	प्रति घटना 2000 /—
16.	खुले में ठोस अपशिष्ट के जलाने पर शास्ति।	प्रति घटना 5000 /—

- शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विनिश्चित जुर्माना एवं यूजर फीस किसी भी दशा में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में यथा परिभाषित 5000 /— रुपये से अधिक नहीं होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय दयाल,
विशेष सचिव।

9 अगस्त 2019

सं० 03/SBM-01-18/2019-2225 न.वि.एवं.आ.वि., दिनांक 9 अगस्त 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय दयाल,
विशेष सचिव।

The 9th August 2019

Nagar Panchayat Jagdishpur Solid Waste Management Byelaws, 2019

No 03/SBM-01-18/2019-2225—Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India has notified the Solid Waste Management Rules, 2016 under the Environment (Protection) Act, 1986 to ensure proper management of solid waste and as mandated by rule 15 clauses (e), (f) and (zf) of Solid Waste Management Rules, 2016, the local body has to frame bye-laws incorporating the provisions of the said Rules.

And whereas, section 421 of the Bihar Municipal Act, 2007 empowers the Municipality to make any regulations under this act to carrying out the purpose of the Act;

For implementation and standardization of the Solid Waste Management Rules, 2016 State Government of Bihar published “Model Bihar Municipality Solid Waste Management Bye-laws, 2019”, vide notification No.-685, dated 05.03.2019.

The said Model Byelaws have been passed by Proposal No.-01, dated 16.04.2019 of the Standing Committee of Nagar Panchayat Jagdishpur complying with the provisions of subsections-(a), (b) and (c) of Section-422 of the Bihar Municipal Act, 2007.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section-423 of the Bihar Municipal Act, 2007, the Byelaws passed by proposal No.-01, dated 16.04.2019 of the Nagar Panchayat Jagdishpur is hereby approved.

It shall be effective from the date of its publication in the official gazette.

CHAPTER-I **GENERAL**

1. Short Title and Commencement—

- (1) These bye-laws shall be called the Nagar Panchayat Jagdishpur **Solid Waste Management Byelaws, 2019**.
- (2) These byelaws shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Applicability—These byelaws shall be applicable to notified Industrial townships, areas under Indian Railways, Airports, Airbase, Ports and Harbours, Special Economic Zones, State and Central Government Organisations, every residential, institutional, commercial and any non-

residential solid waste generator and places of pilgrimage, religious and historical importance available within the jurisdiction of Nagar Panchayat Jagdishpur.

3. Definitions:- In these Rules, unless otherwise required in the context—

- (i) **"Act"** means the Bihar Municipal Act, 2007 (as amended from time to time).
- (ii) **"Byelaws"** means the regulatory framework notified by the local body, census town and notified area townships for facilitating the implementation of the Solid Waste Management Rules, 2016 rules effectively in its jurisdiction.
- (iii) **"Aerobic Composting"** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter in the presence of oxygen.
- (iv) **"Anaerobic Digestion"** means a controlled process that involves microbial decomposition of organic matter in the absence of oxygen.
- (v) **"Bio-degradable Material"** means a material that can be degraded by microorganisms.
- (vi) **"Bio-Medical Waste"** means the waste generated from hospitals, nursing homes, dispensaries, PHCs, Pathological Laboratories containing syringes, body organs/skins, blood wetted cotton and cloth etc.
- (vii) **"Bio-methanation"** means a process which entails enzymatic decomposition of the organic matter by microbial action to produce methane rich biogas;
- (viii) **"Bulk waste generator"** means and includes (i) buildings occupied by the Central government departments or undertakings, State government departments or undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, commercial establishments, markets, places of worship, sports complexes having an average waste generation rate exceeding 100 kg per day, (ii) all resident welfare and market association, gated communities and institution with an area >5000 sq.m. and all hotels and restaurants generating on an average 100 kg or more of solid waste per day.
- (ix) **"Collection"** means picking up and removing solid waste from point of generation of waste and from any other place.
- (x) **"Combustible waste"** means non-biodegradable, non-recyclable, non-reusable, non-hazardous solid waste having minimum calorific value exceeding 1500 kcal/kg and excluding chlorinated materials like plastic, wood pulp, etc;
- (xi) **"Composting"** means a controlled process that involves microbial degradation of organic matter.
- (xii) **"Concessionaire"** means a person who owns or operates the concession for collection, segregation, secondary storage, transportation, processing and disposal of solid waste and it also includes any other agency appointed by the authority for management and handling of solid waste in their respective areas.

- (xiii) **“Construction and Demolition Waste”** means waste from building materials, debris and rubble resulting from construction, remodelling, repair and demolition operations;
- (xiv) **“Co-processing”** means use of non-biodegradable and non-recyclable solid waste having calorific value exceeding 1500 kcal as raw material or as a source of energy or both to replace or supplement the natural mineral resources and fossil fuels in industrial processes.
- (xv) **“Decentralised processing”** means establishment of dispersed facilities for maximizing the processing of bio-degradable waste and recovery of recyclables closest to the source of generation so as to minimize transportation of waste for processing or disposal;
- (xvi) **“Disposal”** means the final and safe disposal of rejects after processing of solid waste, waste from road sweeping and silt from surface drains at specified sanitary landfills with the care necessary to prevent contamination of ground water, surface water, ambient air quality and attraction of animals and birds.
- (xvii) **“Domestic hazardous waste”** means discarded paint drums, pesticide cans, CFL bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes and contaminated gauge, etc., generated at the household level;
- (xviii) **“Door to door collection”** collection of solid waste from the door step of households, shops, commercial establishments, offices, institutional or any other residential premises and includes collection of such waste from entry gate or a designated location on the ground floor in a housing society, multi-storeyed building or apartments, large residential, commercial or institutional complex or premises;
- (xix) **“Informal waste collector”** includes individuals, associations or waste traders who are involved in sorting, sale and purchase of recyclable materials.
- (xx) **“Leachate”** means a liquid that has seeped through solid waste or other medium and which has extracted or suspended matter from it.
- (xxi) **“Materials Recovery facility” (MRF)** means a facility where non-compostable solid waste can be temporarily stored by the local body or any other entity mentioned at bye-law 2 above or any person or agency authorised by any of them to facilitate segregation, sorting and recovery of recyclables from various components of waste by authorised informal sector of waste pickers, informal recyclers or any other work force engaged by the urban local body or entity mentioned in bye-law 2 above for the purpose before the waste is delivered or taken up for its processing or disposal.
- (xxii) **“Municipal Authority”** means the Urban Local Body and the persons authorised by the municipal boards to manage and handle the Solid Waste in the municipal area.

-
- (xxiii) **“Municipal Commissioner/Executive Officer”** means the Chief Municipal Officer of the Urban Local Body.
 - (xxiv) **“Municipal Solid Waste”** includes commercial and residential waste, sanitary waste, commercial waste, institutional waste, catering and market waste and other non-residential waste, street sweepings, silt removed or collected from the surface drains, horticulture waste, construction and demolition waste generated in the jurisdiction of the Urban Local Body in either solid or semi-solid form and excludes hazardous industrial waste, e-waste and battery waste.
 - (xxv) **“Pellet Forming”** means a process used to made pellets which will be small cubes or cylindrical pieces from solid waste and will also include a fuel pellet which is also specified as fuel obtained from garbage.
 - (xxvi) **“Processing”** means a process whereby waste material is turned into new or recycled products.
 - (xxvii) **“Recycling”** means the process of transforming segregated non-biodegradable solid waste into new material or product or as raw material for producing new products which may or may not be similar to the original products.
 - (xxviii) **“Refused Derived Fuel”** means fuel derived from combustible waste fraction of solid waste such as plastic, wood, pulp or organic waste, other than chlorinated materials, in the form of pellets or fluff produced by drying, shredding, dehydrating and compacting of solid waste.
 - (xxix) **“Schedule”** means the Schedule annexed with these rules.
 - (xxx) **“Secondary Storage”** means the temporary containment of solid waste after collection at secondary waste storage depots or MRFs or bins for onward transportation of the waste to the processing or disposal facility.
 - (xxxi) **“Segregation”** means sorting and separate storage of various components of solid waste namely biodegradable wastes including agriculture and dairy waste, non-biodegradable wastes including recyclable waste, non-recyclable, combustible waste, sanitary waste and non-recyclable inert waste, domestic hazardous wastes, and construction and demolition wastes;
 - (xxxii) **“Sanitary land filling”** means the final and safe disposal of residual solid waste and inert wastes on land in a facility designed with protective measures against pollution of ground water, surface water and fugitive air dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, animal menace, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas emissions, persistent organic pollutants slope instability and erosion.
 - (xxxiii) **“Transportation”** means conveyance of solid waste, either treated, partly treated or untreated from a location to another location in an environmentally sound manner through specially designed and covered transport system so as to prevent the foul odour, littering and unsightly conditions.

- (xxxiv) **“Urban Local Body”** means and refers to municipality as specified under section 2 (66) of Bihar Municipal Act, 2007, wherever it has been used.
- (xxxv) **“Vermi-Composting”** is the process of bio degradation of waste into fertilizer using earthworms.
- (xxxvi) **“Waste picker”** means a person or groups of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste generation the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood.
- (xxxvii) **“Waste Producers”** or **“Waste Generator”** means persons or establishment or institution producing municipal waste.

CHAPTER-II

WASTE SEGREGATION

4. Segregation and Primary Storage of Solid Waste at source—

- (1) It shall be necessary for all waste generators including bulk waste generators to separate and store the solid waste coming out of their own places regularly into three streams namely:-
 - (a) bio-degradable or wet waste
 - (b) non-biodegradable or dry waste
 - (c) domestic hazardous waste
- (2) The colour of bins for storage of segregated waste shall be: green-for biodegradable waste, blue-for non-biodegradable or dry waste, black- for other waste.
- (3) Construction and Demolition waste shall be stored separately within the premises. Waste generators who generate 20 tons or more in one day or 300 tons or more per project in a month shall segregate the waste into four streams such as concrete, soil, steel, wood and plastics, bricks and mortar and shall submit waste management plan and get appropriate approvals from the local authority before starting construction or demolition or re-modelling work and keep the concerned authorities informed regarding the relevant activities from the planning stage to the implementation stage and this shall be on project to project basis. The generator shall ensure that other waste (such as solid waste) does not get mixed with this waste and is stored and disposed separately.
- (4) The horticulture waste and garden waste generated from the premises shall be segregated and stored within the premises and shall be composted within the premises or sent to the nearest municipal facility.
- (5) No bio-medical waste, e-waste, hazardous chemicals and industrial waste shall be mixed with solid waste. Such waste shall be disposed of in accordance with the respective rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (6) Every owner/occupier of any premises other than a designated slaughter houses and markets, who generates poultry, fish and slaughter waste as a result of any commercial activity, shall store the same separately in closed,

- hygienic conditions and deliver it at a specified time, on a daily basis to the urban local body collection vehicle provided for this purpose.
- (7) Used sanitary pads and diapers shall be wrapped securely in paper or pouch provided by the manufacturer or brand owners of these products or in a newspaper or suitable biodegradable wrapping material and placed in the bin meant for non-biodegradable waste or dry waste.
 - (8) Every Street Vendor during daily activity shall keep dust bin for storage of waste like disposable plates, cups, containers, wrappers, coconut shells, waste food, vegetables and fruits etc. and shall deposit such waste at waste storage depots or containers or vehicles designated Nagar Panchayat Jagdishpur.
 - (9) Every person responsible for organising an event/function or gathering of more than one hundred persons in open space, which involves service of food stuff in plastic or multi-layered packaging shall segregate and manage the waste generated during such events. The person shall inform the Urban Local Body at least 3 working days prior to the date of event/function and request the municipality to place the requisite number of 1.1 cum container for storage of such segregated waste by paying daily rental charges as fixed by Nagar Panchayat Jagdishpur. The segregated waste shall be handed over to the specified waste collector/agency authorised by the municipality.
 - (10) Bulk Waste Generators shall, in coordination with Nagar Panchayat Jagdishpur, ensure source segregation, facilitate storage of segregated waste in separate bins and shall handover the recyclable waste to authorised waste pickers or authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed of within the premises by composting or bio-methanation. The rejects from the processing shall be handed over to the waste collector/agency authorised by the Urban Local Body. In case of non-availability of land, the bulk waste generators shall hand over the segregated waste to urban local body/agency authorised by the urban local body by giving such user fees as prescribed by Nagar Panchayat Jagdishpur.
 - (11) The waste generator shall pay to the Urban Local Body or to the person/agency/NGO authorised by the Urban Local Body, the monthly user charges as fixed by the Urban Local Body for solid waste management activity.
 - (12) Waste shall not be littered, burnt or buried on the street/roads, on public places, in drains or in water bodies. If any person is found littering garbage on public roads, public places, on private open spaces, in parks, near sources of water etc. the authorized officer of the Urban Local Body or any other person authorised by the Urban Local Body, shall charge penalty from the offender as per Schedule-II of these bye-laws.
 - (13) For the purpose of successful implementation of the provisions of these bye-law, the Urban Local Body shall create awareness by involving SHG members, encourage the participation of ward sanitation committee, representatives of non-government organisations, sanitation contractors and citizens to segregate, store and management of solid waste as per the provisions of Solid Waste Management Rules, 2016.

- (14) Intensive awareness campaign shall be driven through print media, electronic media, display of hoardings, distribution of hand bills, wall painting, rallies and Prabhat Pheries, competition among school children, Nukkad Nataks in wards etc.

CHAPTER III

SOLID WASTE COLLECTION

5. Collection of Waste—Effective collection system of waste shall be implemented to avoid littering of waste in the streets. For this purpose, Nagar Panchayat Jagdishpur shall:-

- (i) Implement “सफाई दूत आपके द्वार” scheme in all zones/circles/wards of the municipality to collect segregated waste from every home in compliance of the Solid Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- (ii) In compliance of SWM Rules, door to door collection of segregated solid waste shall be implemented in all areas or wards of the Urban Local Body, to collect garbage from every house, including slums and informal settlements on a daily basis by integrating the informal waste collectors in the existing solid waste management system.
- (iii) The Urban Local Body shall select and use equipment and vehicles for door to door collection and transportation of segregated solid waste depending upon the requirement and local conditions,.
- (iv) The Urban Local Body shall assess the number of vehicles, equipment and manpower that will be allotted to each zone/ward for efficient collection of solid waste and also to ensure that there is no inter-mixing of segregated solid waste.
- (v) As a thumb rule, the Urban Local Body may deploy a minimum of one “Safai Doot” for every 250 houses in densely populated areas, 200 houses in medium density areas and 125 houses in scattered areas. However, the Urban Local Body may deploy more or less number of “Safai Doots” depending on the behaviour of the citizens and the requirement. These “Safai Doots” may be deployed with one tricycle with compartments/ containerised tricycle/ containerised hand cart/ e-rickshaw to reach the narrow streets.
- (vi) In order to collect garbage from every house, area-wise specific time shall be set and well publicised. Commonly, the time for house to house garbage collection shall be set from 6 am to 11am. For collection of garbage from trading establishments, shops in commercial areas or any other institutional waste generators, commonly the time shall be from 7am to 12 pm. However, the Urban Local Body or the outsourced agency may decide the time of collection of waste as per the local conditions and situation.
- (vii) A special bell/horn/whistle (whose sound must not be over the permissible noise limits) should be fitted in all the collection vehicles so that the residents may become aware of the arrival of the vehicle and come out to handover the segregated waste at the fixed time.
- (viii) Waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish markets shall be collected on daily basis.

- (ix) Horticulture and garden waste shall be separately collected and disposed of. One or two days in a week will be specified for this purpose.
- (x) Private and Government nurseries shall ensure collection of all polybags used in the nurseries in one place and ensure safe and scientific processing and disposal of such polybags. If they are not able to make such arrangements, they can hand it over to the Urban Local Body/agency authorized by the Urban Local Body by giving such user fees as prescribed in Schedule-I to these bye-laws.
- (xi) To make optimum use of bio-degradable waste from fruits and vegetable markets, meat and fish markets, bulk horticulture and garden waste and to minimize the cost of collection and transportation, such waste shall be processed or treated within the area where waste is generated.
- (xii) Manual handling of waste in the containers shall be prohibited. If unavoidable due to constraints, manual handling shall be carried out under proper protection with due care for safety of workers.
- (xiii) The Urban Local Body shall notify the user fees as deemed appropriate and collect the fee from the waste generators on its own or through authorised agency. For convenience of the Urban Local Body, the Urban Development and Housing Department has worked out reasonable user charges for different category of waste generators and the same is specified under Schedule-I. The Nagar Panchayat Jagdishpur can collect the user fees with property tax or separately as decided by the elected board. Printed receipt of the Urban Local Body shall be used for collection of the user fees.
- (xiv) The user charges shall be properly advertised by the Urban Local Body/outsourced agency and these shall also be displayed on the containerised tricycles and auto tippers. The name of the agency should also be written on the containerised tricycles and auto tippers.
- (xv) The Urban Local Body or its authorized agency shall be responsible to ensure door to door collection and transportation of solid waste.

6. Daily Street Sweeping:— Nagar Panchayat Jagdishpur shall make arrangements for daily road sweeping in each ward of the town. Adequate number of workers shall be deployed on each road. The Urban Local Body shall assess the number of workers to be deployed for Road Sweeping. One containerised hand cart/wheel barrows, long handled broom, metal plate and Personal Protective Equipment (PPE) shall be provided to each worker deployed for road sweeping. For wide roads, mechanical road sweeping machines may be used. Mechanical Sweeping can help minimize the sweeping cost, reduces dust and air pollution, protects sweeper from occupational health hazards, reduces debris in storm drains and reduces accident and injury. The Urban Local Body shall ensure that no waste is burnt by the workers post collection.

CHAPTER IV
SECONDARY STORAGE

7. Secondary storage of solid waste:—Nagar Panchayat Jagdishpur shall establish and maintain solid waste storage facility, wherever applicable, at its own level or through authorised agency/contractors in such a way that it doesn't create unhealthy/unhygienic atmosphere around it. The following criteria shall be adhered to while establishing and maintaining the storage facilities—

- (i) The secondary storage facilities shall be created and established keeping in mind the amount of waste generated and the population density in the specified area but there shall be a distance of minimum 500 meters between two storage facilities. The storage facility shall be equipped with storage containers of adequate capacity or with large size stationary compactor/transfer stations. Over time, the Urban Local Body shall try to gradually remove such containers for making the city free of garbage containers.
- (ii) Segregated solid waste collected from doorsteps shall be taken to waste storage depots or MRFs or bins meant for secondary storage of waste and, as per requirement, further transported to the processing or disposal facility.
- (iii) The secondary storage facility provided by the Urban Local Body or any other agency shall be designed in such a way that the collected garbage is not open to the atmosphere, is aesthetically acceptable to the users and should encourage them to place the garbage only inside the container.
- (iv) For secondary storage of segregated waste, the Urban Local Body shall place different coloured containers at suitable places as follows:
 - (a) Green Colour Containers— for bio-degradable waste/Wet waste
 - (b) Blue Colour Containers – for recyclable waste/dry waste
 - (c) Black Colour Containers – for other wastes
- (v) Every street vendor shall keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits etc. and deposit such waste at waste storage depots or containers or vehicles as notified by the Urban Local Body.
- (vi) The Urban Local Body or its specified agency shall carry out washing and disinfection of all the bins as and when required.
- (vii) The Urban Local Body shall identify specific location(s) as per requirement, for establishment of Material Recovery Facility (MRF) or facilities which shall be used for segregation of dry waste received through street/door to door waste collection service. Provision shall be made for involvement of informal waste pickers/SHG members in the segregation activity.
- (viii) The Urban Local Body can also make provisions for collection of dry waste by the waste pickers and Kabadiwallas/recyclers directly from the MRF facility.
- (ix) Action shall be taken by Urban Local Body or by the society/association/person authorised by the Urban Local Body against the person(s), housing societies, commercial establishments and other bulk waste generators who violate the provision of no littering on public roads/streets. The financial penalty shall be recovered from the defaulter/offender on printed receipt of municipality.

- (x) The waste from butchers, meat and fish market and vegetable and fruit markets is of a biodegradable nature and has high calorific value. Hence, this waste shall be managed in such a way that it can be utilised to produce energy or methane gas or compost. To ensure this, the traders themselves or their association shall make their own arrangements for processing and disposal of waste. Throwing such waste on public roads/streets/open space without processing shall be considered as illegal and shall be a punishable offence.
- (xi) Bio medical waste and industrial waste shall not be mixed with municipal solid waste and the collection of such waste shall be made as per the rules specified separately for this purpose.
- (xii) Waste/rubble generated by construction/demolition activity shall be collected separately and be disposed of in low lying areas or shall be reused for construction activity such as construction of road etc. The residual waste of private construction/demolition must be transported to the identified spot under own management of the generator of the waste or by paying the prescribed charges to the Urban Local Body for transporting the waste itself or by authorised contractor. Throwing/storing such private rubble on road or at public places for more than 5 days shall be treated as violation and a penalty as prescribed in Schedule-II shall be charged from the person(s) violating the provisions of these bye-laws.
- (xiii) The waste (garbage and dry leaves etc.) shall not be burnt in the open.
- (xiv) No one will collect or throw waste water, muddy water, night soil, dung, excreta etc. from his/her building, institution or commercial establishment in such a way that can pollute the atmosphere with its stench and may harm public health or may obstruct traffic. Violation of this provision will attract penalty that shall be levied on the spot for littering such waste and the person responsible shall also be liable for legal action.
- (xv) Dead animals shall not be placed by any person on road/public place. The Urban Local Body shall be immediately informed, if a dead animal is found lying on road/public place. The Urban Local Body shall immediately dispose of the dead animals in animal crematoria or other suitable place. Throwing dead animals on road/at public place will be a punishable offence. The Urban Local Body or its authorised person may recover charges from the responsible person(s) on the spot.

CHAPTER V

TRANSPORTATION OF SOLID WASTE

8. Arrangements for transportation of solid waste:—The vehicles used for the transportation of solid waste are to be duly closed so that the waste is not visible to the public and the waste is not scattered elsewhere on the road during transportation. The following standards shall be maintained during the transportation of solid waste—

- (i) The collected waste from every household, commercial establishment, secondary storage containers shall be transported in a segregated manner every day at regular intervals so that no secondary storage container spills over and the waste is not left lying at temporary dumping points for more than 24 hours.

- (ii) Collected segregated bio-degradable waste from residential and other areas shall be transferred to the processing plants like compost plants, bio- methanation plants or other such facilities in a covered manner.
- (iii) Twin Bin Dumper Placers/compactor vehicles shall be used to lift and carry secondary storage containers. While carrying the secondary storage bins, the Urban Local Body shall ensure that the lid of the container is closed during transportation.
- (iv) Regular maintenance of all vehicles shall be ensured either in the Urban Local Body's own workshop or through maintenance contract.
- (v) Minimum 5% vehicles shall be kept as stand by but these stand by vehicle shall also be used on rotation basis.
- (vi) All the vehicles shall be registered with the Transport Authority and shall be insured covering at least damage to 3rd parties.
- (vii) The type of vehicles and capacity of vehicles should be determined in such a way that it is economical and viable. Every vehicle shall be optimally utilised and should make such number of trips in a day that is essential for transportation of the generated waste.
- (viii) Auto tippers shall be used for transporting the garbage up to waste processing site/waste disposal site, if the site is not more than 5 km from the point of secondary storage.
- (ix) In towns where the waste is being dumped on ground and loader backhoe/skid steer loader is used to lift and transfer the waste in to vehicles, tipper trucks of suitable capacity shall be used to transport the waste. The practice of manual lifting of waste from the ground on to the vehicle shall be gradually stopped. In case of unavoidable circumstances, manual lifting can be done with proper safety and with the use of personal protective equipment (PPE).
- (x) The Urban Local Body shall assess the requirement of secondary transportation vehicles and ensure availability of such vehicles for smooth operation of solid waste management activity.

CHAPTER VI

SOLID WASTE PROCESSING

9. Processing of Solid Waste:—Municipal Solid Waste is a good resource for producing useful materials such as compost, energy and fuel. Different techniques can be adopted to convert the Municipal Solid Waste to useful materials. This will not only convert the waste to valuable products but will also reduce the quantity of waste that needs to be disposed of.

- (i) Nagar Panchayat Jagdishpur shall facilitate the construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on its own or through any agency as per the prescribed rules for optimum utilisation of various components of solid waste by adopting suitable technologies such as aerobic composting, vermi-composting, mechanical composting, bio-methanation, waste to energy or any other approved process prescribed from time to time by the Government.
- (ii) To minimise transportation cost and environmental impacts, preference shall be given to decentralised processing such as bio-methanation, aerobic composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilisation of biodegradable waste.

- (iii) The non-biodegradable waste shall be sorted and segregated into different streams such as recyclable, combustible, inert etc. at the Material Recovery Facilities (MRF). The combustible and inert waste can be sent to the nearby cement plants for co-processing in cement kilns and the recyclables can directly sent to the recycling units through waste pickers or kabadiwallas.
- (iv) The non-biodegradable waste which cannot be recycled and has calorific value exceeding 1500 kcal/kg shall be used for co-processing, waste to energy process including Refused Derived Fuel (RDF) for combustible fraction of waste or can also be supplied as feedstock to solid waste based power plants or cement kilns.
- (v) The construction and demolition waste shall be processed in accordance with the provisions of Construction and Demolition Waste Management Rules 2016.
- (vi) The inert waste and rejects from processing of solid waste shall be disposed of in sanitary landfill facilities. The Urban Local Body shall aim to send less than 10 percent waste to the landfill and gradually the Urban Local Body shall try to achieve zero waste going to sanitary landfill facility.
- (vii) The Urban Local Body shall ensure that recyclables such as paper, plastic, metal, glass, textiles etc. go to authorized recyclers.
- (viii) All industrial units using fuel and located within one hundred km from a solid waste based Refused Derived Fuel (RDF) plant shall make arrangements to replace at least five percent of their fuel requirement by Refused Derived Fuel (RDF) so produced.
- (ix) Nagar Panchayat Jagdishpur shall ensure that the statutory approvals/authorisations required from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Central Pollution Control Board/State Pollution Control Board/State Environment Impact Assessment Authority are taken as and when required while starting processing of solid waste **as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016.**

CHAPTER VII

DISPOSAL OF SOLID WASTE

10. Arrangements for disposal of solid waste:—

- (1) The municipal solid waste inert and rejects after processing of waste shall be disposed of in a sanitary landfill facility in a scientific manner. The landfill site should be identified in accordance to the provisions prescribed in Solid Waste Management Rules, 2016.
- (2) The landfill site shall be large enough to last for at least 20-25 years. To reduce the requirement of valuable land for landfill, efforts shall be made to reduce the municipal solid waste by recycling useful material, converting biodegradable waste into compost/energy etc.
- (3) Disposal of waste for a group of cities and towns may be carried out through establishment of Regional Sanitary Landfill facility, so that more quantity of waste can be disposed of on less area of land as compared to individual land fill site. The towns within a distance of 50 Km (or more) from the location of

Regional Landfill facility may form a Regional Landfill Management Society. The chairman of the society shall be the Chief Municipal Officer of the largest populated town while the Chief Municipal Officers of other member towns shall be the member of the society.

- (4) The landfill or Regional Landfill shall be developed in compliance of Solid Waste Management Rules, 2016. The landfill site shall be at least 100 meter away from river, 200 meter from a pond, 200 meter from highways, habitations, public parks and water supply wells and 20 km away from Airports or Airbase. However, in special cases, landfill site may be set up within a distance of 10 and 20 km away from the Airport/Airbase after obtaining no objection certificate from the Civil Aviation Authority/Air Force as the case may be. The landfill site shall not be permitted within the flood plains as recorded for the last 100 years, zone of coastal regulation, wetland, critical habitat areas, and sensitive eco -fragile areas.
- (5) Nagar Panchayat Jagdishpur shall not dump the municipal waste on road side or on open vacant land within the municipal area. The Urban Local Body or Regional Landfill Management Society shall obtain necessary clearance from State Pollution Control Board (SPCB) and appraisal from State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA) prior to development of Landfill site/Regional Landfill site.

CHAPTER VIII

RESPONSIBILITIES OF STAKEHOLDERS

11. Responsibility of the Urban Local Body:—

- (1) Nagar Panchayat Jagdishpur Shall ensure arrangements for daily cleaning of all the public roads, public places, colonies, slum areas, markets, tourist places, ghats on the banks of rivers and other water bodies, religious places, parks, crematoria grounds etc. The Urban Local Body shall be committed to transfer the garbage collected from these places to the nearest garbage container/transfer station and transport it to the processing site/disposal site every day by using closed vehicles. The Urban Local Body shall ensure that all the bulk waste generators in the city are segregating at source and treating biodegradable waste in their premises.
- (2) Nagar Panchayat Jagdishpur shall utilize its manpower (sanitary workers and drivers) and vehicles and equipment optimally according to their capacity to make the city/town clean. The sanitary workers shall be deployed in the wards along with containerised tricycle/containerised hand carts/auto tippers and other ancillary equipment for ensuring door to door collection, street sweeping, bush cutting and drain cleaning activity. The Urban Local Body shall ensure Solid Waste Management in its jurisdiction by involving its own sanitation workers or by outsourcing the whole or part of the activity to private contractors through a transparent bidding process.
- (3) The Urban Local Body and the service providing agency shall provide uniforms with aprons, masks, hand gloves, gum boots and other necessary safety material and equipment to the sanitation workers at a fixed interval. The

- Urban Local Body shall also make arrangements for regular health check-up of all sanitation workers employed by it.
- (4) In order to manage the complete daily cleaning arrangements of the city, the Urban Local Body shall establish a Complaint Redressal Cell either centrally at Urban Local Body office or at ward level or at zone/circle level. The Complaint Redressal Cell should have a toll free number to receive complaints from the citizens, which shall be displayed on each container and vehicle of the Urban Local Body/outsourced agency. The toll free numbers shall also be publicised through print and electronic media.
 - (5) The Urban Local Body shall procure required vehicles and equipment in adequate numbers, of good quality and of latest technology. Regular maintenance of old vehicles and equipment shall also be ensured. To the extent possible, the Urban Local Body shall enable GPS tracking of the collection vehicles to ensure monitoring of such vehicles.
 - (6) Provide adequate number of litter bins at commercial areas and all important public places such as places of worship, parks, and bus stands. At each location two types of litter bins shall be provided for disposing wet waste and dry waste.
 - (7) Sufficient number of garbage containers of suitable sizes shall be placed at suitable places so that the workers engaged in road sweeping or in collection of waste from door to door do not need to travel more than 2000 meters in a day in the service area. The garbage containers shall not be handled manually and the waste shall be mechanically transported to vehicles, processing and disposal sites. Over time, the Urban Local Body shall try to gradually remove the containers to make the city free of garbage containers.
 - (8) Sufficient number of vehicles with drivers and helpers shall be deployed by the Urban Local Body for transportation of the waste to the processing site/waste disposal site. All such vehicles shall necessarily be covered from all sides.
 - (9) Suitable vacant land shall be used to segregate the waste materials. These places may also be used as transfer stations. The bio-degradable waste will be transported from the secondary storage site/transfer station to the waste processing/disposal site using an enclosed vehicle. There should not be any spillage of garbage from the vehicle during transportation of waste.
 - (10) Municipal authority shall make all efforts to make the city "Container free City" by collecting waste from door step of each household, shop, commercial establishment, office, institution, hotel, restaurant, hospital, nursing home, religious places, apartments etc. at least twice in a day.
 - (11) Apart from the above, Nagar Panchayat Jagdishpur is responsible for the following:—
 - (a) Making arrangements for door to door collection of segregated waste from all houses including slums, informal residential areas, commercial, institutional and other non-residential premises.

- (b) Collecting waste from the main gate or from a single point in multi-storeyed buildings, large commercial establishment, malls, residential apartments etc.
- (c) Establishing procedures for authorisation of rag pickers/informal waste collectors.
- (d) Issuing directions to the waste generators for segregation at source and not to litter waste in public places or burning the waste anywhere.
- (e) Identifying the places and providing facilities for storage and secondary segregation of non-biodegradable waste where the rag pickers and waste collectors will segregate recyclable waste such as paper, plastic, metals, glass etc.
- (f) Establishing appropriate number of waste deposition centres for the collection and receipt of domestic hazardous waste and also notifying the timings for receiving domestic hazardous waste at such centres.
- (g) Issuing directions to not burn leaves collected during road sweeping.
- (h) Installing processing plants of suitable technology which may include the following technology:
 - (1) Bio-methanation, aerobic composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other suitable process of bio-stabilisation.
 - (2) High calorific waste to use for production of energy, waste to energy plants or feed stock in cement furnace.
- (i) Ensuring construction and operation and maintenance of landfill facility with own funds or on PPP mode.
- (j) Allowing only the non-usable, non-recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to the sanitary landfill and ensuring that the sanitary landfill sites meets the specifications given in Solid Waste Management Rules, 2016. However, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill;
- (k) Investigating and analysing all old open dumpsites and existing operational dumpsites for their potential of bio-mining and bio-remediation and wheresoever feasible, taking necessary actions to bio-mine or bio-remediate the sites;
- (l) Applying in Form-I of the Solid Waste Management Rules, 2016 for obtaining authorisation from State Pollution Control Board for waste processing, treatment and disposal if the volume of waste exceeds five metric tonne per day.

- (m) Preparing annual reports in Form-IV as per the provisions of SWM Rules, 2016 and submitting it to the State Pollution Control Board and other related departments before 30th May of every year.
 - (n) Providing training to rag pickers and waste collectors about waste management, public awareness regarding no littering, reducing waste, segregation at source, composting at household level, vermi-composting etc.
 - (o) Creating awareness and sensitization through Information, Education and Communication (IEC) campaigns and educating the waste generators and other stakeholders about the various provisions of SWM Rules and these bye-laws.
 - (p) Phasing out the use of chemical fertilizers and promoting use of compost in all parks, gardens maintained by it and in other places under its jurisdiction. Incentives may be provided for recycling initiatives by the informal waste recycling sector.
 - (q) Ensuring occupational safety of its own staff and staff of outsourced agency involved in collection, transport and handling of waste by providing appropriate and adequate personal protective equipment.
 - (r) In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the officer in charge of the facility shall report to the Municipal Commissioner/Executive Officer of the Urban Local Body immediately and the matter shall be reviewed and suitable instructions issued to the person in-charge of the facility.
 - (s) Installing bio-metric/smart card technologies/ICT systems for tracking and recording attendance of employees associated with the working of SWM Rules and these bye-laws at their assigned place of work and making efforts to integrate such system with the salary/wages/ remuneration.
- (12) Nagar Panchayat Jagdishpur shall perform all other duties mentioned in SWM Rules, 2016 which have not been specifically mentioned in these bye-laws.

12. Duties of manufacturers or brand owners of disposable products and sanitary napkins and diapers:—

- (1) All manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastics, packaging, etc., or brand owners who introduce such products in the market within the jurisdiction of Nagar Panchayat Jagdishpur shall endeavour to provide necessary financial assistance under Corporate Social Responsibility for creation of awareness and capacity building.
- (2) All such brand owners who sell or market their products in packaging material which is non-biodegradable shall put in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production.
- (3) Manufacturers or brand owners or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the possibility of using all recyclable materials in their

products and they shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.

- (4) All such manufacturers, brand owners or marketing companies shall educate the masses regarding wrapping and disposal of their products.

CHAPTER IX

REVIEW AND MONITORING COMMITTEE

13. Constitution of Review and Monitoring Committee:—A District Level Review and Monitoring Committee shall be constituted to ensure that Solid Waste Management activity is implemented in an effective manner. The Committee shall be constituted at the district level under the Chairmanship of the District Magistrate to review and monitor the implementation of solid waste management activity. The Member Secretary of the committee will be the Municipal Commissioner or Executive Officer of the Urban Local Body in the district which has highest population as per population census 2011. The Committee will have members from different government departments of the state and nominated members from the community/civil society. The constitution of the Committee shall be as follows:—

- (i) District Magistrate (Chairperson)
- (ii) Mayors/Chairman of all Urban Local Bodies of the District.
- (iii) Municipal Commissioner/Executive Officers of all Urban Local Bodies of the District.
- (iv) District in charge senior-most official of the Department of Public Health Engineering.
- (v) An official nominated by the State Pollution Control Board (Regional Officers/AEEs/Scientist).
- (vi) An eminent person of the district from social or public field having special knowledge or experience of urban development (to be nominated by the District Magistrate).
- (vii) An eminent person/office bearer of a civil society organisation working in the district in the field of urban development (to be nominated by the District Magistrate).
- (viii) An eminent person in the senior citizen category (to be nominated by the District Magistrate).

14. Responsibilities of the District Level Review and Monitoring Committee:— The District Level Review and Monitoring Committee shall undertake the following action:-

- (a) Review and monitor the works related to solid and plastic waste management activity. Review the action plan of Urban Local Bodies of the district on solid waste management and ensure implementation of all the provisions of Solid and Plastic Waste Management Rules, 2016 and of these byelaws.
- (b) Direct the Urban Local Bodies to prepare the baseline database and situation analysis of Solid and Plastic Waste.
- (c) Monitor the progress of the campaign of solid waste/plastic waste management and make periodic corrections as needed and participate in regular review and co-ordination with the Urban Development and Housing Department and other state coordination agencies.

- (d) Review the performance of Urban Local Bodies in the district at least once in a quarter on solid and plastic waste management and identify and allocate suitable land to the Urban Local Body for setting up solid waste processing disposal facility.
- (e) Direct and work in coordination with support organisations, line departments and civil society organisations in setting up systems that enable community level monitoring and management of solid and plastic waste.
- (f) Entrust responsibility to any committee/sub-committee for ward-level monitoring in consultation with the Urban Local Body.

CHAPTER X

USER FEE AND LEVYING OF SPOT FINE/ PENALTY

15. Collection of User Fees—

- (1) User fees shall be fixed by the Urban Local Body for providing services for garbage collection, transportation and disposal from waste generators by the urban local body.
- (2) The user fee so fixed shall be collected from waste generators by the urban local body or the authorised agency or person as may be authorized by Municipal Commissioner/Executive Officer in this behalf.
- (3) Nagar Panchayat Jagdishpur can collect the user fees with property tax or separately, as decided by the elected board. Printed receipt of the Urban Local Body shall be used for collection of the user fees.

16. Prosecution and Penalties for contravention of SWM Rules:—

- (1) In case of violation and breaching of the provisions of these Byelaws by the citizens, waste generators, polluters or any other person, action can be taken against the offenders in terms of the provisions of section 426 of the Bihar Municipal Act, 2007.
- (2) Whosoever contravenes or fails to comply with any of the provisions of SWM Rules or these bye-laws shall be imposed with fine as prescribed in Schedule-II below.
- (3) In case of repeated contravention or non-compliance as mentioned in sub-clause (a) above, the fine amount for every such default shall be levied per day or month, as the case may be.
- (4) Nagar Panchayat Jagdishpur shall designate officers for levying fine or penalty by a general or specific order in this behalf. The fine/penalty amount is specified in Schedule-II.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

17. Co-ordination with Government bodies:—Nagar Panchayat Jagdishpur shall co-ordinate with other government agencies and authorities, to ensure compliance of these bye-laws within the area under its jurisdiction.

18. Review of implementation:—Nagar Panchayat Jagdishpur will review the effective implementation of these bye-laws at least on a monthly basis and take appropriate steps necessary for implementation of the bye-laws.

19. Saving of Rules & Regulations:—Any action taken according to the applicable rules/regulations before the coming into force of these byelaws will not be considered as void due to these bye-laws coming into effect, provided that such actions do not violate these bye-laws.

Schedule-I (User Charges)

(This is suggestive- Nagar Panchayat Jagdishpur may fix the user charges according to the local situations)

Sl. No	Details	Minimum monthly charges (in Rs.)		
		Municipal Corporation	Municipal Council	Nagar Panchayat
A	Residential			
(i)	Residential Households	30	25	20
(ii)	Slum and houses with below poverty line	00	00	00
(iii)	Apartments, Housing Societies, Resident Welfare Associations (RWAs)	1500	1000	500
B	Non-residential			
(i)	Street vendors	50	30	20
(ii)	Shops/eateries (Sweet Stall/dhaba/coffee house etc.)	100	75	50
(iii)	Restaurants, Guest houses, Dharmashalas, hostels, etc.	500	250	150
(iv)	Private and Government nurseries	500	250	150
(v)	Star hotels or hotels similar to star hotels	5000	5000	5000
(vi)	Commercial offices, government offices, insurance office, bank, coaching classes and educational institutes	500	250	150
C	Medical Institutions (Non-Biomedical Waste)			
(i)	Clinics, dispensaries, laboratories	250	150	100
(ii)	Hospitals (up to 50 bed)	1500	1200	1000
(iii)	Hospitals (>50 beds)	3000	2000	1500
D	Miscellaneous			
(i)	Religious Places	100	50	30
(ii)	Small and Medium enterprises situated in municipality area which generate 10 kg of waste/day.	500	300	200
(iii)	Godowns, cold storage etc.	1000	750	500
(iv)	Marriage halls, Festival halls, exhibition and trade fairs.	2500	1500	1000
(v)	Others not mentioned above.	The municipality shall decide on the basis of its assessment and local situations.		

Schedule-II

Schedule of fines on violation of the provisions of these byelaws

Sl. No	Description of Byelaw	Amount (in Rs.) of Fine applicable for breach of Byelaw
1	Penalty for littering of waste on streets or in public places by residents.	300/- per event.
2	Penalty for littering of waste on roads or in public places by shopkeepers other than those mentioned below.	450/- per event
3	Penalty for littering of waste on roads or in public places by restaurant owners.	700/- per event
4	Penalty for dumping of waste in public places or in open areas by hotel owners.	1000/- per event.
5	Penalty for dumping of waste in public places or in open areas by industrial establishments.	2000/- per event.
6	Penalty for littering of waste on streets or on public places by sweet sellers, chat/pakoda/golgappa sellers, fast food stalls, ice-cream stalls, sugarcane juice sellers, vegetable and fruit sellers (all on carts/on footpath), eateries etc	200/- per event
7	Penalty for dumping of cow dung or dairy waste in public places or in open spaces	500/- per event
8	Penalty for dumping of construction/demolition waste on road or in public places.	1500/- per event
9	Littering of blood, bones, feathers, skin, egg shells and the other remains of dead animals on roads or in public places by butchers/meat shop owners/fish sellers.	1000/- per event
10	Penalty for throwing dead animals like cow, buffalo, goat, sheep, dog, came, donkey, horse, pig on road or in public places.	2000/- per event
11	Penalty for dumping of dumping garbage on road or in public place by marriage halls.	2000/- per event
12	Penalty for dumping of municipal waste by hospitals, nursing homes, clinics, pathology labs, medical stores etc. on the road or in public places.	1000/- per event
13	Mixing of bio-medical waste in to municipal waste by hospitals, nursing homes, clinics, pathology labs etc.	5000/- per event

Sl. No	Description of Byelaw	Amount (in Rs.) of Fine applicable for breach of Byelaw
14	Penalty for littering of waste on roads or in public places by clubs, cinema halls, pubs, community halls etc.	1500/- per event
15	Penalty for littering of waste on roads or in public places by housing societies/apartments/housing colonies/gated communities etc.	2000/- per event
16	Penalty for burning of solid waste in the open.	5000/- per event

* The Fine and User fees decided by the Urban Local Body in any case shall not exceed Rs. 5000 /- as defined in the Bihar Municipal Act, 2007.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY DAYAL,
Special Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 945-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>